उत्तर प्रदेश शासन

सहकारिता अनुभाग–1

संख्या 579/49–1–2014–8 (56)13 टी0सी0–I

लखनऊ दिनांक 19 मई, 2014

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन् 1966) की धारा 130 के अधीन बनायी गयी उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1968, समय–समय पर संशोधित, के नियम 470 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ञञ) के अनुसरण में गठित उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग द्वारा अपने निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों को विनियमित करने की दृष्टि से राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनायी जाती हैः–

उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली, 2014

अध्याय–1

प्रारम्भिक

(1) यह नियमावली "उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली, 2014" कही जायेगी।

(2) यह नियमावली गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

1–(1) जब तक प्रसंग या सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1965 से है;

(ख) "आयोग" का तात्पर्य "उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग" से है;

(ग) "सहकारी नियमावली" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली 1968 से है;

(घ) "निर्वाचन" का तात्पर्यः–

(1) प्रतिनिधियों, या

(2) प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों या

(3) सहकारी समिति के सभापति/उपसभापति, अथवा अन्य समिति को भेजे जाने वाले प्रतिनिधि के निर्वाचन से है;

(ङ)"मतदाता" का तात्पर्य किसी ऐसे सदस्य/प्रतिनिधि से है, जो अधिनियम, नियम और समिति की उपविधियों के अधीन मतदान करने का हकदार हो और इसके अन्तर्गत किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी में अधिनियम की धारा–24 या धारा–29(7) के अधीन नाम निर्दिष्ट या नियम–42(ख) या 450 के अधीन सहयोजित या नियम–451 के अधीन नाम निर्दिष्ट व्यक्ति भी है और उसके नाम निर्वाचन के लिये तैयार की गई सम्बद्ध समिति या निर्वाचन क्षेत्र की अन्तिम मतदाता सूची में हों;

(च) "मतदाता सूची" का तात्पर्य निम्नलिखित से है–

(एक)प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के निर्वाचन की स्थिति में, सामान्य निकाय के, यथास्थिति प्रतिनिधियों/सदस्यों की सूची;

(दो)समिति के सभापति, उपसभापति या प्रतिनिधियों के निर्वाचन की स्थिति में, सरकारी सेवकों से भिन्न प्रबन्ध कमेटी निर्वाचित, सहयोजित और नाम निदिृष्ट सदस्यों की सूची;

(तीन)सदस्य के प्रतिनिधि के निर्वाचन की स्थिति में, उस क्षेत्र के या जहाँ से सम्बद्ध समिति के सामान्य निकाय में प्रतिनिधि निर्वाचित किया जाना हो, सदस्यों की सूची;

(छ) "उम्मीदवार" का तात्पर्य अधिनियम, नियम या समिति की उपविधियों के अधीन पात्र ऐसे मतदाता से है, जो निम्नलिखित रूप में निर्वाचन लड़ने के लिए नाम–निर्देशन पत्र दाखिल करता हैः–

(एक)–प्रतिनिधि के रूप में, या

(दो)–प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के रूप में, या

(तीन)–सहकारी समिति के सभापति या उपसभापति के रूप में;

(ज)"अनुसूचित जाति", "अनुसूचित जनजाति" और "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का वही तात्पर्य है, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 में उनके लिए दिया गया है;

(झ)"मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी" का तात्पर्य सहकारी समिति के मुख्यालय से सम्बन्धित जनपद के मण्डल के मण्डलीय संयुक्त आयुक्त/उप आयुक्त एवं मण्डलीय संयुक्त निबन्धक/मण्डलीय उप निबन्धक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश अथवा ऐसे अधिकारी से है, जो उक्त पद के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो;

(ञ)"जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी" का तात्पर्य उस जनपद के जिला मजिस्ट्रेट से है, जिसमें सम्बन्धित समिति का मुख्यालय स्थित हो;

(ट)"जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी" का तात्पर्य सहकारी समिति के मुख्यालय से सम्बन्धित जनपद के "सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक", सहकारिता अथवा ऐसे अधिकारी से है जो उक्त पद के कर्तव्यों के निर्वहन के निर्वहन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो;

(ठ)"निर्वाचन अधिकारी" का तात्पर्य राज्य सरकार के किसी ऐसे अधिकारी से है, जिसे आयोग के निर्देशों के अधीन जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी सहकारी समिति या सहकारी समिति के वर्ग या वर्गों या किसी क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए इस निमित्त निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया हो;

(ड)"सहायक निर्वाचन अधिकारी" का तात्पर्य निर्वाचन अधिकारी के कृत्यों के सम्पादन में सहायता करने के लिये जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त एक या एक से अधिक नियुक्त अधिकारी से है;

(ढ)"मतदान अधिकारी" का तात्पर्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों में मतदान स्थल के लिये नियुक्त अधिकारी से है जिसे निर्वाचन अधिकारी के कृत्यों के सम्पादन में सहायता करने और ऐसे अन्य कार्य हेतु नियुक्त किया गया हो, जो इस नियमावली के अधीन अपेक्षित हों;

(ण)"सहकारी निर्वाचन पर्यवेक्षक" का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है, जिसे आयोग द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों या समितियों के किसी वर्ग या वर्गों की सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं नियम संगत कार्रवाई का पर्यवेक्षण किये जाने हेतु नियुक्त किया गया हो;

(त) "चुनाव चिन्ह" का तात्पर्य आयोग द्वारा सहकारी समिति के उम्मीदवारों के निर्वाचन हेतु अनुमोदित प्रतीक चिन्ह से है;

(थ) "निर्वाचन क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है, जहाँ से निर्दिष्ट संख्या में सामान्य निकाय के प्रतिनिधि अथवा प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के निर्वाचन हेतु जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी अथवा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाय;

(द) "निर्वाचन स्थल" का तात्पर्य समिति के कार्यालय या मुख्यालय या जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिसूचित कार्यालय या मुख्यालय के यथासम्भव निकटतम किसी सार्वजनिक स्थल से है;

(ध) "मतदान स्थल" का तात्पर्य समिति के कार्यालय या मुख्यालय या जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिसूचित किसी सार्वजनिक स्थल से है तथा सामान्य निकाय के गठन हेतु प्रतिनिधियों के निर्वाचन के मामले में मतदान स्थल, समिति के कार्यालय या मुख्यालय या शाखा के अतिरिक्त कोई अन्य सार्वजनिक स्थान होगा, जैसा निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवधारित किया गया हो;

(न) "निर्वाचन वाद" का तात्पर्य सहकारी समिति के निर्वाचन के पश्चात् निर्वाचन से क्षुब्ध पक्षकारों द्वारा अधिनियम की धारा 70 के अधीन संस्थित वाद से है।

2—इस नियमावली में प्रयुक्त परन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम और सहकारी नियमावली में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हैं।

अध्याय—2

सहकारी समितियों के निर्वाचन के सामान्य नियम

3—उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी, किसी सहकारी समिति या समितियों या सहकारी समितियों के किसी वर्ग या वर्गों का निर्वाचन अधिनियम और इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार होगा।

4—सहकारी समिति के सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक का यह कर्तव्य होगा कि निर्वाचित प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल के समाप्ति के दिनांक के 4 मास पूर्व, उस जिले, जिसमें समिति का पंजीकृत मुख्यालय स्थित है, के जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी अथवा उस प्राधिकारी, जिसे समिति के किसी वर्ग या वर्गों के लिए आयोग द्वारा, ऐसे प्रायोजन के लिए अधिकृत किया गया हो, को लिखित रूप से समिति की निर्वाचित प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक की सूचना देगा और अवधारण शुल्क जमा किए जाने का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए समिति के निर्वाचन कराए जाने का अनुरोध करेगा।

5—(क) सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल के समाप्त होने की सूचना प्राप्त होने पर जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह जनपद की समस्त ऐसी समितियों, जिनका कार्यकाल आगामी 4 मास के भीतर समाप्त हो रहा हो, की संकलित सूचना आयोग को दे और निर्वाचन हेतु तिथि निर्धारित किये जाने की संस्तुति करे।

(ख)सहकारिता एवं अन्य विभागों की सहकारी समितियों को पंजीकृत करने वाले अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि, वह अपने क्षेत्राधिकार की सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु अपेक्षित सूचना एवं अभिलेख जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी एवं आयोग को या आयोग के प्राधिकृत अधिकारी को अपेक्षा किये जाने पर उपलब्ध कराए।

6—उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1968 में किसी बात के होते हुए भी निबन्धक का यह उत्तरदायित्व होगा कि किसी नई समिति को पंजीकृत करने के पश्चात् अथवा धारा 35 के अधीन प्रबन्ध कमेटी को अवक्रमित किये जाने अथवा समिति के समामेलन, विभाजन, अवक्रान्त या अन्य आकस्मिक दशाओं में गठित अन्तरिम कमेटी की तत्काल सूचना प्रबन्ध कमेटी के सम्यक् निर्वाचन कराने के उद्देश्य से आयोग को प्रदान करे।

उक्त के अतिरिक्त निबन्धक का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि किसी समिति को परिसमापित किये जाने अथवा निबन्धन निरस्त किये जाने का आदेश दिये जाने पर उक्त आदेश के सम्बन्ध में आयोग को संसूचित करते हुए यह अनुरोध करें कि सम्बन्धित समिति का निर्वाचन न कराया जाय।

7—जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी या निबन्धक या समिति के सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक से निर्वाचन कराये जाने की सूचना प्राप्त होने पर आयोग समितियों के किसी वर्ग या वर्गों के लिये निर्वाचन तिथि निर्धारित करेगा। आयोग द्वारा ऐसा किये जाने पर उस जिले का जिला मजिस्ट्रेट या जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी, जहाँ समिति का मुख्यालय स्थित हो, नियत दिनांको को निर्वाचन कराने के लिए कार्रवाई करेगा, और इस प्रयोजन के लिए किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की सेवाओं की उसके द्वारा अपेक्षा की जा सकती है और यदि किसी कर्मचारी या अधिकारी के सम्बन्ध में ऐसा कोई आदेश जिला मजिस्ट्रेट या जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किया गया है तो उसका पालन न करना अपराध समझा जायेगा, जिसके सिद्ध होने पर, वह जुर्माने से जो तीन हजार रूपये तक हो सकता है या कारावास से जो तीन माह तक हो सकता है या दोनों से दण्डित किया जायेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटड, लखनऊ की शाखाओं के सदस्यों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन कराने का प्राधिकार उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट में निहित होगा जहाँ ऐसी शाखा स्थित होः

8— किसी सहकारी समिति या समितियों या सहकारी समितियों के किसी वर्ग या वर्गों का निर्वाचन ऐसे दिनांक को होगा, जो आयोग नियत करे और सम्बद्ध जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी इस प्रकार नियत् किये गये दिनांक पर, इस प्रायोजन के लिए समितियों के भिन्न–भिन्न वर्ग या वर्गों के लिए या भिन्न–भिन्न क्षेत्रों के लिए एक या एक से अधिक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि उस विभाग का जो समिति के प्रबन्ध या प्रशासन से सम्बद्ध हो, कोई अधिकारी/कर्मचारी, निर्वाचन अधिकारी नियुक्त नहीं किया जायेगा।

9— निर्वाचन अधिकारी ऐसे समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा जो इस नियमावली के अधीन व्यादिष्ट किये जाएं या उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिये प्रासंगिक या आवश्यक हों, किन्तु किसी निर्वाचन अधिकारी की अनुपस्थिति में कोई सहायक निर्वाचन अधिकारी अथवा मतदान अधिकारी जिसे जिला

सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो, निर्वाचन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करेगा।

10—इस नियमावली के किन्ही अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिये ऐसे सरकारी सेवकों में से, जो समितियों के प्रबन्ध और प्रशासन से सम्बद्ध न हो, निर्वाचन के संचालन में अपनी सहायता के लिये मतदान अधिकारी प्रतिनियुक्त कर सकता है।

11—समिति की प्रबन्ध कमेटी तथा सम्बद्ध सहकारी समिति का प्रत्येक अधिकारी, निर्वाचन कराने मे निर्वाचन अधिकारी को पूरी सहायता देने के लिये बाध्य होंगे और ऐसे सभी अभिलेख उपलब्ध करायेंगे जिनकी निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन हेतु अपेक्षा की जाय।

Š**12—(क) समिति का सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक समय—समय पर आयोग द्वारा दिये गये निदेशों या तत्समय प्रवृत्त उपबन्धों के अनुसार समस्त मतदाताओं की सूची, जिनके नाम के सम्मुख अधिनियम, इस नियमावली अथवा उपविधियों में यथा वर्णित कोई अनर्हताएं, यदि कोई हो, उल्लिखित की जायेगी, तैयार करेगा और निर्वाचन के दिनांक के 45 दिन पूर्व सम्यक् रूप से नामांकित सदस्य, साधारण सदस्य या सहानुभूति सदस्य सम्मिलित किये जायेंगेः**

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी समितियों, जो परिसमापनाधीन हो अथवा प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचन न होने के कारण निलम्बित/अधिक्रमित की गई हों, के प्रतिनिधि उक्त मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

13—नियम—12 के अनुसार तैयार की गई अन्तिम सूची, निर्वाचन अधिकारी द्वारा उस दिनांक, समय और स्थान पर जो निर्वाचन कार्यक्रम में अधिसूचित की जाय, प्रदर्शित की जायेगी।

14—कोई उम्मीदवार, प्रबन्ध कमेटी के एक से अधिक पद के लिए साथ—साथ निर्वाचन लड़ने के लिए अर्ह न होगा। यदि एक से अधिक पद के लिये नाम—निर्देशन पत्र वैध पायें जाये तो उसे केवल एक पद के लिये विकल्प देना होगा तथा अन्य के लिए अपना नाम—निर्देशन—पत्र वापस लेगा। ऐसी वापसी के लिए निश्चित दिनांक के पूर्व यदि वह अपने विकल्प का प्रयोग करने में चूक करे, तो उसके समस्त नाम—निर्देशन—पत्र अवैध हो जायेंगे।

15—सहकारी समिति के अर्ह साधारण एवं सहानुभूतिकर सदस्य को, चाहे समिति की पूंजी में उसके हित की मात्रा कितनी ही क्यों न हो, समिति के निर्वाचन में केवल एक मत देने का अधिकार होगा।

16—यदि किसी अभ्यर्थी, जिसका नामांकन नियम 49 के अधीन विधि द्वारा मान्य पाया गया हो और जिसने अपनी अभ्यर्थिता वापस न ली हो, मृत्यु हो जाती है और मतदान होने के पूर्व उसकी मृत्यु की सूचना प्राप्त हो जाती है तो निर्वाचन अधिकारी, उस अभ्यर्थी की मृत्यु के तथ्य के सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेने के पश्चात् सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के मतदान को स्थगित कर देगा और इसकी सूचना जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी और आयोग को देगा और उस निर्वाचन क्षेत्र या पद के लिये नामांकन नये सिरे से दाखिल किये जायेगे. किन्तु उस व्यक्ति के लिए जो मतदानस्थगित किये जाने के समय निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी था, कोई अतिरिक्त नामांकन आवश्यक न होगा, और ऐसा व्यक्ति जिसने मतदान स्थगित कर दिये जाने के पूर्व अपना नामांकन

वापस लिया था, वह ऐसे स्थगन किये जाने के पश्चात नामांकन दाखिल किये जाने के लिये अनर्ह न होगा और मतदान ऐसे स्थगन के पश्चात उस दिनांक को होगा जो आयोग द्वारा नियत किया जाय।

17—समिति के निर्वाचन से सम्बन्धित प्रकिया प्रारम्भ हो जाने पर, नियम—16 में उल्लिखित कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से कोई निर्वाचन प्रक्रिया रोकी नहीं जायेगी,

परन्तु यह कि यदि मतदान स्थल पर बलवे या खुली हिंसा के कारण मतदान या निर्वाचन की किसी कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न हो जाय या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण निर्वाचन कराया जाना सम्भव न हो तो ऐसे निर्वाचन के लिए नियुक्त निर्वाचन अधिकारी, बाद में अधिसूचित किये जाने वाले आगामी दिनांक तक के लिये निर्वाचन के स्थगन की घोषणा करेगा। ऐसे स्थगन की सूचना तत्काल जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी और आयोग को दी जायेगी जिस पर आयोग निर्वाचन के लिये नया दिनांक नियत करेगा,

परन्तु यह और कि, निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रयोग की जा रही मतदान डायरी में पूरे घटनाक्रम का क्रमबद्ध/समयबद्ध वर्णन करने के पश्चात् ही निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित की जाएगी।

18—यदि किसी कारण से निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी समिति का निर्वाचन रोका गया है तो निर्वाचन की प्रक्रिया उस प्रक्रम से, जहाँ पर उसे रोका गया था, या उसके पूर्व के प्रक्रम से या नये सिरे से, जैसा कि आयोग विनिश्चय करे, प्रारम्भ की जायेगी,

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नामांकन के पश्चात वैध नाम—निर्देशन पत्रों पर चुनाव चिन्हों का आवंटन कर दिया गया है तो निर्वाचन की कार्यवाही आगे चलायी जायेगी और निर्वाचन ऐसे दिनांक को कराया जायेगा जो आयोग नियत करें,

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी सहकारी समिति का निर्वाचन अधिनियम की धारा—29 की उपधारा (3) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन आयोग द्वारा स्थगित किया जाता है तो निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया नये सिरे से प्रारम्भ की जायेगी।

19—प्रत्येक निर्वाचन में मतदान समाप्त होने के पश्चात् मतपत्रों की गणना निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 44 में विहित रीति और आयोग के दिशा—निर्देशों के अधीन करायी जायेगी और प्रत्येक अभ्यर्थी, उसके निर्वाचन अभिकर्ता और गणना अभिकर्ता को यह अधिकार होगा कि वह गणना के समय उपस्थित रहें।

20—अधिनियम के उपबन्ध एवं इस नियमावली के अधीन जारी किये गये सहकारी नियम, आदेश एवं दिशा—निर्देश प्रत्येक पुनर्मतदान पर उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे कि वह मूल मतदान में लागू होते हैं।

21—(1)यदि निर्वाचन के पश्चात् किसी समिति की प्रबन्ध कमेटी में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, निर्वाचित किये जाने वाले विहित संख्या से कम पायी जाती है तो रिक्त स्थानों के लिए निर्वाचन, यथासम्भव शीघ्र कराये जायेंगे,

प्रतिबन्ध यह है कि सभापति/उपसभापति और प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए मताधिकार प्राप्त सदस्यों की संख्या के आधे से अधिक सदस्य का होना अनिवार्य है।

(2) यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि समिति की निष्क्रियता या अन्य कारणों से किसी समिति का निर्वाचन कराया जाना सम्भव नहीं है, तो आयोग ऐसी समिति विशेष को परिसमाप्त किये जाने के लिए सम्बन्धित प्राधिकारी को संस्तुति कर सकता है और सम्बन्धित प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि समिति को सुनवाई का अवसर देते हुए विधि अनुसार समिति को परिसमाप्त करने या समिति का पंजीकरण निरस्त किये जाने की कार्रवाई करे।

22—सहकारी समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में आयोग द्वारा समय—समय पर निर्गत निर्देश बाध्यकारी होंगे।

अध्याय–3
सामान्य निकाय एवं प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचन क्षेत्र का अवधारण

23–आयोग द्वारा किसी सहकारी समिति अधवा सहकारी समितियों के किसी वर्ग या वर्गों के लिए निर्वाचन तिथिया अधिसूचित किए जाने के पश्चात् सम्बन्धित सहकारी समिति अथवा सहकारी संमितियों के किसी वर्ग या वर्गों के निर्वाचन के लिए क्षेत्र अवधारण की कार्रवाई की जाएगी।

24–समस्त प्रकार की प्रारम्भिक सहकारी समितियों के पंजीकृत मुख्यालय से सम्बन्धित जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम–27 एवं 28 में विहित रीति एवं आयोग द्वारा दिए गये दिशा निर्देशों के अधीन आवश्यक होने पर सामान्य निकाय के प्रतिनिधियों, सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी के मदस्यों, सभापति, उप सभापति तथा अन्य सहकारी समितियों में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु क्षेत्र अवधारण की कार्यवाही की जाएगी।

प्रतिबन्ध यह है कि, जिला केन्द्रीय सहकारी समितियों की स्थिति में क्षेत्र अवधारण की कार्रवाई मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाएगी।

25–राज्य स्तरीय/शीर्ष सहकारी समिति की दशा में क्षेत्र अवधारण की कार्रवाई आयोग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी।

26–निर्वाचन क्षेत्रों के अवधारण के लिए समिति का सचिव अथवा यथास्थिति प्रबन्ध निदेशक, वह समस्त सूचनाएं अथवा तथ्य, जिसकी अपेक्षा जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी अथवा मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी अथवा आयोग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समय–समय पर की जाए, उपलब्ध करायेगा।

27–(1) सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों या यथास्थिति, सहकारी समिति के सामान्य निकाय के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी अथवा मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी अथवा आयोग अथवा प्राधिकृत अधिकारी, सहकारी समिति की उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी, सहकारी समिति या यथास्थिति सहकारी समिति के किसी वर्ग या वर्गों के निर्वाचन के लिए अनन्तिम रूप से निम्नलिखित बातों का अवधारण करेगाः–

(क) निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, जिसमें सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र को विभाजित किया जायेगा.

(ख) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार,

(ग) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आवंटित स्थानों की संख्या,

(घ) क्षेत्र का चिन्हांकन तथा आरक्षित स्थानों की संख्याः

प्रतिबन्ध यह है कि निर्वाचन क्षेत्रों का नाम हिन्दी वर्णमाला में उल्लिखित किया जायेगा।

(2)–तदुपरान्त जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी अनन्तिम रूप से किये गये अवधारणा पर आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए, सुनवाई की तिथि अंकित कर उक्त अवधारण को किसी प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करेगा, जिसमें ऐसे प्रकाशन के दिनांक से 7 दिन के भीतर आपत्तियां आमंत्रित की जायेंगी। जिसकी एक प्रतिलिपि सम्बद्ध समिति को भी टीका–टिप्पणी के लिए भेजी जायेगी

प्रतिबन्ध यह है कि प्रारम्भिक, जिला/केन्द्रीय सहकारी समितियों की स्थिति में प्रकाशन मण्डल से प्रसारित होने वाले प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जायेगा और राज्य स्तरीय/शीर्ष सहकारी समिति की दशा में प्रकाशन मण्डल स्तरीय दैनिक समाचार पत्र के सभी संस्करणों में प्रकाशित किया जायेगाः

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी प्रारम्भिक, जिला/केन्द्रीय सहकारी समिति, जिसका कार्यक्षेत्र एक राजस्व जनपद से अधिक हो, के अनन्तिम अवधारण का प्रकाशन ऐसे प्रमुख दैनिक समाचार पत्र, जो समिति के कार्यक्षेत्र में प्रसारित होता हो, में किया जायेगा।

(3)–निर्वाचन क्षेत्र के अवधारण का मापदण्ड निम्नलिखित में एक या अधिक हो सकता है, अर्थातः–

1. राजस्व क्षेत्र
2. सदस्यता का/के वर्ग
3. समिति के कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में अन्य तर्गसंगत आधारः

प्रतिबन्ध यह है कि प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति अथवा प्रारम्भिक गन्ना समिति/दुग्ध समिति की स्थिति में अवधारण की इकाई यथासम्भव समिति के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली एक या अधिक ग्राम पंचायत होगी।

(4)–(क)अनन्तिम अवधारणा के अधीन प्राप्त आपत्तियों और टिप्पणियों पर जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे प्रकाशन के ग्यारहवें/बारहवें/तेरहवें दिन, जैसा कि अनन्तिम अवधारण में उल्लिखित हो, में सम्बन्धित आपत्तिकर्ता मे सुनवाई कर विचार करेगा और सुनवाई के पश्चात् सम्बन्धित पंजिका पर आपत्ति एवं सुनवाई में प्राप्त कथन का संक्षिप्त विवरण अंकित कर उस पर आपत्तिकर्ता से हस्ताक्षर करायेगा और स्वयं भी हस्ताक्षर करेगा।

(ख)–प्रश्नगत सुनवाई में लिये गये निर्णय से सम्बन्धित उल्लिखित तथ्यों की प्रतिलिपि आपत्तिकर्ता द्वारा दस रूपये प्रति पृष्ठ जमा कर प्राप्त की जा सकती है।

(5)–तदुपरान्त, जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी/सक्षमप्राधिकारी द्वारा प्राप्त आपत्तियां के निस्तारण के सम्बन्ध में यथा आवश्यक टिप्पणी सम्बन्धित पंजिका मेंअंकित करते हुए निर्वाचन क्षेत्रों, स्थानों की संख्या और आरक्षित स्थानों की संख्या का अन्तिम अवधारण करेगा। इस प्रकार किये गये अन्तिम अवधारण को अनन्तिम प्रकाशन के पन्द्रहवें दिन ऐसे समाचार पत्र में प्रकाशित करेगा, जैसा उपनियम (2) में उल्लिखित हैं। ऐसे अवधारण की एक प्रतिलिपि सम्बद्ध समिति को भी जायेगी।

28–जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारीअधिनियम की धारा 29(5) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के उपबन्धों के अधीन आरक्षित स्थानों के लिए निर्वाचन क्षेत्र/क्षेत्रों को आरक्षित करेगा और ऐसा आरक्षण उस निर्वाचन क्षेत्र/क्षेत्रों के, जहां से प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन किया जाना हो, नामों के हिन्दी वर्णमाला के क्रम में रखकर चक्रानुक्रम में उस सीमा तक किया जाये, जहां तक स्थान आरक्षित किया जाना आवश्यक होः

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार आरक्षित क्षेत्रों को निम्न प्रकार से हिन्दी वर्णमाला के क्रम में आवंटित किया जायेगाः–

(1) एक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए,

(2) एक नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए,

(3) दो महिलाओं के लिए,

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि जहां एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों के नाम का प्रथम अक्षर एक समान हो, वहां ऐसे मामलों में आरक्षण एक निर्वाचन क्षेत्र के नाम के अगले अक्षर द्वारा विनियमित किया जायेगा।

29–जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी का यह भी कर्तव्य होगा कि समितियों के अवधारण से सम्बन्धित अनन्तिम एवं अन्तिम अवधारण की एक प्रति सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी तथा आयोग को भी उपलब्ध करायेगा।

अध्याय–4
सामान्य निर्वाचन प्रक्रिया

30–आयोग द्वारा किसी सहकारी समिति या समितियों के किसी वर्ग या वर्गों के निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत किए जाने पर उस जिले का जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट, जिसमें समिति का मुख्यालय स्थिति हो, आयोग के दिशा–निर्देशों के अधीन रहते हुए निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करेगा।

31–जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी अपने अधिकारिता क्षेत्र/क्षेत्रों की ऐसी सहकारी समितियों, जिनका मुख्यालय उसके सम्बन्धित जिले में है और जिनका निर्वाचन होना है, के निर्वाचन से सम्बन्धित

आयोग द्वारा अधिसूचित निर्वाचन कार्यक्रम को स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में अनन्तिम क्षेत्र अवधारण के पश्चात् प्रकाशित करेगा।

32—उक्त निर्वाचन कार्यक्रम के प्रकाशन में, जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी निर्वाचन हेतु निर्वाचन स्थल एवं मतदान स्थल का निर्धारण करेंगे और उसे सूचना में अंकित करेंगे और सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक, जैसी स्थिति हो, से यह अपेक्षा करेंगे कि उक्त कार्यक्रम की एक प्रति समिति के सूचना पट पर चस्पा की जायः

प्रतिबन्ध यह है कि मतदान का स्थान समिति का कार्यालय या मुख्यालय होगा परन्तु, अपरिहार्य कारणों से जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय किया गया मतदान स्थल, समिति के कार्यालय या मुख्यालय के यथासम्भव निकट कोई सार्वजनिक स्थल भी हो सकता हैः

अग्रसर प्रतिबन्ध यह है कि सहकारी नियमावली के नियम—84—क के उप नियम—(4) में यथा उल्लिखित समिति के प्रतिनिधियों के चुनाव के मामलें में मतदान का स्थल समिति के कार्यालय या मुख्यालय या शाखा के अतिरिक्त कोई अन्य सार्वजनिक स्थान, जैसा कि जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाय, हो सकता है।

33—(क) समिति के सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक का यह उत्तरदायित्व होगा कि समिति के निर्वाचन कार्यक्रम एवं मतदान स्थल की सूचना अनन्तिम मतदाता सूची प्रकाशित होने की तिथि से कम 15 दिन पूर्व समिति के सूचना पट पर प्रदर्शित करेंः

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त सूचना प्रारम्भिक सहकारी समिति की स्थिति में, सम्बन्धित विकास खण्ड, जिला/केन्द्रीय सहकारी समिति की स्थिति में सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय एवं राज्य स्तरीय/शीर्ष सहकारी समिति की स्थिति में आयुक्त एवं निबन्धक तथा आयोग के कार्यालय के सूचना पट पर भी प्रदर्शित की जाएगी।

(ख) निर्वाचन कार्यक्रम में निम्नलिखित को प्रदर्शित किया जायेगाः—

(एक)अनन्तिम मतदाता सूची के प्रदर्शन का दिनांक;

(दो) अनन्तिम मतदाता सूची पर आपत्तियां दाखिल करने और उनके निस्तारण का दिनांक, समयऔर स्थान;

(तीन) अंतिम मतदाता सूची के प्रदर्शन का दिनांक;

(चार) नाम—निर्देशन पत्र दाखिल करने का दिनांक, समय और स्थान;

(पाँच) नाम—निर्देशन पत्रों के परिनिरीक्षण का दिनांक, समय और स्थान;

(छः) नाम—निर्देशन पत्र वापस लेने का दिनांक, समय और स्थान;

(सात) निर्वाचन चिन्ह आवंटित करने और अंतिम नाम—निर्देशन प्रदर्शित करने का दिनांक, समय और स्थान;

(आठ) मतदान का दिनांक, समय और स्थान;

(नौ) वह स्थान जहाँ मतदाता द्वारा मतदाता सूची का निरीक्षण किया जा सकता है;

(दस) निर्वाचन क्षेत्रों के नाम, जिसमें आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र भी सम्मिलित है और निर्वाचन किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या;

प्रतिबन्ध यह है कि, क्रमांक—(एक) से (आठ) में दिनांक एवं समय वह होगा, जो आयोग द्वारा निर्धारित किया जाय तथा क्रमांक—दस की सूचना एवं स्थान वह होगा, जो जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जाय।

34—निर्वाचन से सम्बद्ध समिति का सचिव/प्रबन्ध निदेशक नियम—12 के अधीन रहते हुए निम्नलिखित आधार पर अनन्तिम मतदाता सूची तैयार करेगा—

(एक)उन समितियों की स्थिति में जिनके सामान्य निकाय में अलग—अलग सदस्य हों, या उन समितियों की स्थिति में जिनके सामान्य निकाय में अलग—अलग सदस्यों के प्रतिनिधि हों,

(दो) उन सतितियों की स्थिति में, जिनके सामन्य निकाय में अलग—अलग सदस्य और समिति सदस्य सम्मिलित हों, अलग—अलग सदस्यों की एक सूची तीन प्रतियों में तैयार करायेगा जिसमें उन दिनांक

को जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, समिति की पुस्तिकाओं में अंकित नाम, पिता का नाम, पता, अनर्हता यदि कोई हो, दिखाया जायेगा, जिसे आगे अनन्तिम सूची कहा गया है और यह सूची निम्नलिखित रीति से तैयार की जायेगीः–

(क) प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों, प्रारम्भिक गन्ना समितियों एवं प्रारम्भिक दुग्ध समितियों की स्थिति में ग्राम पंचायत/राजस्व ग्रामवार,

(ख) नगर क्षेत्र में स्थित प्रारम्भिक सहकारी समितियों जिसमें उपभोक्ता सहकारी समितियाँ भी हैं, में मोहल्लावार/वार्डवार और नगर क्षेत्र से भिन्न क्षेत्रों में ग्राम पंचायतवार,

(ग) अन्य समितियों की स्थिति में निर्वाचन क्षेत्रवार या सभी सदस्यों के अनुपातिक क्रमानुसार/निर्वाचन क्षेत्रवार या अन्य किसी तर्कसंगत आधार जैसा कि, आयोग द्वारा विनिश्चित किया जायेः

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी सहकारी समिति की स्थिति में जिसकी सदस्य अन्य समितियाँ या खण्ड–(2) के अन्तर्गत आने वाली समितियाँ हो, ऐसी सूची समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम एवं पता सहित, या यदि निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम अनन्तिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के पूर्व प्राप्त न हो, तो वर्तमान प्रतिनिधियों के नाम सहित, टिप्पणी अंकित करते हुए निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगीः

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, लखनऊ की शाखाओं या ऐसी समितियों जिनका कार्यक्षेत्र एक से अधिक राजस्व जिले में हो और जिसकी सदस्यता में अलग–अलग सदस्य हों, ऐसी सूची, यथास्थिति, उप कार्यालय के प्रभारी या सम्बद्ध शाखा के शाखा प्रबन्धक द्वारा तैयार की जायेगी और निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

(3) अनन्तिम मतदाता सूची को समिति के सचिव/प्रबन्ध निदेशक, जैसी स्थिति हो, द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित करते हुए निर्वाचन अधिकारी को यथासमय उपलब्ध कराएगा।

35–निर्वाचन अधिकारी उक्त अनन्तिम मतदाता सूची को निर्वाचन कार्यक्रम में निर्धारित तिथि एवं समय पर समिति के मुख्यालय या आवश्यकतानुसार समिति के उपकार्यालय/शाखाओं के कार्यालय में प्रदर्शित करेगा।

36–अन्तिम मतदाता सूची के सम्बन्ध में आपत्तियाँ यदि कोई हो, निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत दिनांक, समय और स्थान पर सुना जायेगा और उसका निस्तारण करते हुए अन्तिम मतदाता सूची तैयार की जाएगी।

37–अन्तिम मतदाता सूची जो निर्वाचन–क्षेत्रवार, निर्वाचन अधिकारी द्वारा उक्त निस्तारण करते हुए तैयार की गयी थी, को उस पर अपने हस्ताक्षर अंकित करते हुए उसे निर्वाचन स्थल, समिति के मुख्यालय और आवश्यतानुसार समिति के उपकार्यालय या शाखा में प्रदर्शित किया जायेगा। मतदाता सूची रू0 दस प्रति पृष्ठ अथवा आयोग द्वारा समय–समय पर यथा नियत मूल्य का भुगतान करने पर निर्वाचन अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से समिति के मुख्यालय/शाखा से प्राप्त की जा सकेगी।

38–अन्तिम मतदाता की सूची की एक प्रति निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी को भी तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

39(1)–कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित फीस देकर नाम–निर्देशन प्रपत्र (प्रपत्र–ट) निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त कर सकता हैः–

(क) प्रारम्भिक सहकारी समितियों की स्थति मेंः–

(एक) प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के नामांकन हेतु–	पाँच सौ रूपये
(दो) सभापति/उपसभापति पद पर नामांकन हेतु–	एक हजार रूपये
(तीन)प्रतिनिधि पद पर नामांकन हेतु–	एक सौ रूपये

(ख) जिला/केन्द्रीय सहकारी समितियों की स्थिति मेंः–

(एक) प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के नामांकन हेतु–	एक हजार रूपये

(दो) सभापति/उपसभापति पद पर नामांकन हेतु– दो हजार रूपये
(तीन) प्रतिनिधि पद पर नामांकन हेतु– पाँच सौ रूपये

(ग) राज्य स्तरीय/शीर्ष सहकारी समितियों की स्थिति मेंः–

(एक) प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के नामांकन हेतु– दो हजार रूपये
(दो) सभापति/उपसभापति पद पर नामांकन हेतु– पाँच हजार रूपये
(तीन)प्रतिनिधि पद पर नामांकन हेतु– एक हजार रूपये

(2)उपनियम (1) में निर्धारित शुल्क की धनराशि, आयोग द्वारा नियत् बैंक खाते अथवा निर्वाचन अधिकारी को अदा करके प्रपट 'ट' एवं सम्बन्धित शुल्क की रसीद अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कर नामांकन प्रपत्र उक्त रसीद के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) समिति के निर्वाचन अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि नामांकन शुल्क एंव अन्य मदों में प्राप्त धनराशि, प्रत्येक दशा में निर्वाचन परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के भीतर आयोग द्वारा नियत् किये गये बैंक खाता में जमा कर उसका विवरण एवं प्रमाण जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी का उपलब्ध करायेगा।

40–(1) किसी भी व्यक्ति का नाम निर्देशन प्रपत्र समिति का निर्वाचन अधिकारी स्वीकार नहीं करेगा, यदि वह व्यक्ति–

क–मतदान के लिए पात्र न हो;

ख–अधिनियम, निर्वाचन नियमों या समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अधीन अनर्ह हो अथवा आयोग द्वारा निर्वाचन के लिए अनर्ह घोषित किया गया हो।

(2) नाम निर्देशन के लिए प्रस्ताव प्रपत्र ''ट'' में निर्वाचन अधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा। नाम–निर्देशन के सम्बन्ध में आपत्ति भी उसे सम्बोधित की जायेगी और ऐसी आपत्ति किसी मतदाता द्वारा ही की जायेगी।

(3) उम्मीदवार अपना नाम–निर्देशन व्यक्तिगत रूप से या अपने प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा और निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसकी प्रविष्टि एक रजिस्टर में, प्रत्येक दशा में कालानुक्रम में की जायेगी और वह उसकी प्राप्ति भी स्वीकार करेगा और प्रपत्र ''ट'' की प्राप्ति रसीद सम्बन्धित उम्मीदवार या उसके नामित अभिकर्ता को उपलब्ध करायी जायेगीः

प्रतिबन्ध यह है कि नाम निर्देशन का प्रस्तावक और अनुमोदक उम्मीदवार से भिन्न कोई अन्य अर्ह मतदाता उसी निर्वाचन क्षेत्र का होगा।

(4) निर्वाचन अधिकारी द्वारा रजिस्टर में निम्नलिखित बातें उल्लिखित की जायेगीः–

(क) उम्मीदवारों का नाम, पिता का नाम, पता;
(ख) प्रस्तावक और अनुमोदक का नाम, पिता का नाम एवं पता;

(ग) नाम–निर्देशन पत्र प्राप्त होने का दिनांक, समय और उस पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।

(5) निर्वाचन अधिकारी, नाम–निर्देशन पत्र दाखिल करने का समय समाप्त हो जाने के पश्चात् रजिस्टर में अन्तिम नाम–निर्देशन पत्र की प्रविष्टि के नीचे एक पड़ी रेखा खींचेगा, उसके नीचे शब्द (नाम–निर्देशन समाप्त) लिखेगा और दिनांक और समय सहित अपन हस्ताक्षर करेगा। नाम–निर्देशन की एक सूची, समय समाप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र, समिति के सूचना पट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(6) निर्वाचन अधिकारी नाम–निर्देशन पत्रों की परिनिरीक्षा का कार्य विर्निदिष्ट दिनांक को वर्णमाला क्रम में करेगा और उम्मीदवार/उसका प्रस्तावक या अनुमोदक परिनिरीक्षा के समय उपस्थित रह सकता है।

(7) नाम–निर्देशन की परिनिरीक्षा करते समय निर्वाचन अधिकारी–

(क) नाम–निर्देशन पत्रों में नाम या संख्या के सम्बन्ध में किसी लिपिकीय भूल को मतदाता सूची में समानुवर्ती प्रविष्टियों के अनुरूप करने के लिए अनुज्ञा दे सकता है;

(ख) जहां आवश्यक हो, वहां यह निर्देश दे सकता है कि उक्त प्रविष्टियों में किसी मुद्रण सम्बन्धी त्रुटि पर ध्यान न दिया जाय।

(8) परिनिरीक्षा के समय, निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक नाम–निर्देशन पत्र पर उसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने के सम्बन्ध में विनिश्चय पृष्ठांकित करेगा। अस्वीकार किये जाने की स्थिति में, वह ऐसे अस्वीकरण के लिए अपने कारणों का एक संक्षिप्त विवरण अभिलिखित करेगा। जिस उम्मीदवार का नाम निर्देशन अस्वीकार किया जाय, वह 10 रूपये की फीस निर्वाचन अधिकारी के पास नकद जमा कर, अस्वीकरण आदेश की एक प्रति प्राप्त कर सकता है।

(9) नाम–निर्देशन वापस लेने के लिए आवेदन पत्र नियत प्रपत्र में केवल सम्बद्ध उम्मीदवार द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्वाचन अधिकारी को दिया जायेगा।

(10) जहां निर्वाचित अधिकारी नाम–निर्देशन वापस लेने के पश्चात् नाम–निर्देशन को अन्तिम रूप दे दे, वहां पर आयोग द्वारा अनुमोदित चिन्हों की सूची से एक चिन्ह/चिन्हों के उसी क्रम में जिस क्रम में वह अनुमोदित सूची में इंगित किया गया है, प्रत्येक विधिमान्य नाम–निर्देशन के लिए आवंटित करेगा और यदि विधिमान्य नाम–निर्देशन की संख्या आयोग द्वारा अनुमोदित चिन्हों की संख्या से अधिक हो तो निर्वाचन अधिकारी कोई अन्य चिन्ह आवंटित कर सकता है, जो आयोग द्वारा अनुमोदित चिन्हों से भिन्न, किन्तु उससे साम्य रखता हो। इस प्रकार आवंटित चिन्ह सम्बद्ध उम्मीदवार के लिए बन्धनकारी होगा।

(11)अन्तिम नाम–निर्देशनों की सूची, जिसमें उम्मीदवारों के नाम, पिता का नाम उनके अपने–अपने चिन्ह और नाम–निर्देशन पत्रों में दिये गये पतों सहित हिन्दी वर्णमाला क्रम में दिये गये होंगे, निर्धारित कार्यक्रम पर नियम 36 में विहित रीति से प्रदर्शित की जायेगी।

41–प्रत्येक मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होगा और प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी या कोई व्यक्ति जिसे मतदान कराने के लिए या मतपत्रों की गणना के लिए नियुक्त किया गया हो, ऐसी कोई सूचना किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को जो इसे प्राप्त करने के लिए विधिक रूप से अधिकृत न हो, नहीं देगा या ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा, जिससे मतदान की गोपनीयता प्रभावित होती हो।

42–कोई व्यक्ति जो निर्वाचन अधिकारी है, या निर्वाचन कराने के लिए नियुक्त किया गया है या किसी समिति का कोई अधिकारी या कोई पुलिस अधिकारी, जिसे निर्वाचन के संचालन में सहायता करने के लिए नियुक्त किया गया है, निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा, या किसी मतदाता या अभ्यर्थी को इस प्रकार प्रभावित नही करेगा, जिससे किसी उम्मीदवार के निर्वाचन में सफल होने की सम्भावना में वृद्धि या ह्रास होता हो।

43–(1) जहां विधिमान्य नाम–निर्देशनों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या के बराबर या अधिक न हो, वहां निर्वाचन अधिकारी, नाम वापसी के पश्चात् तत्काल उसी दिनांक को उन्हे सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगाः

(2) जहां विधिमान्य नाम–निर्देशनों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या से अधिक हो, वह निर्वाचन अधिकारी नियत् समय एवं दिनांक को मतदान कराने का प्रबन्ध करेगा।

(3) प्रत्येक मतदाता को एक शलाका पत्र दिया जायेगा, जो आयोग के द्वारा मुद्रित होगा, जिसपर हिन्दी वर्णानुक्रम के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को आवंटित चुनाव चिन्ह मुद्रित होगा। इसमें एक खाली स्तम्भ मतदाता द्वारा उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों के नाम के सामने, जिन्हें वह मतदान करना चाहे, एक चिन्ह (X)अंकित करने के लिए भी होगा।

(4) शलाका–पत्र क्रमांकित होंगे और उन पर समिति की मोहर और सम्बद्ध मतदान केन्द्र के निर्वाचन अधिकारी/मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर भी होंगे।

(5) मतदान गुप्त शलाका पत्र द्वारा होगा। मतदाता उस उम्मीदवार के नाम के सामने, जिसे वह मतदान करना चाहता है, एक क्रास का चिन्ह (X)लगायेगा और तद्उपरान्त शलाका पत्र को गुप्त रूप में शलाका पेटी में डान देगा।

(6) प्रत्येक मतदाता के उतने मत होंगे, जितने व्यक्तियों का निर्वाचन किया जाना है किन्तु कोई मतदाता किसी एक उम्मीदवार को एक से अधिक मत नही देगा।

(7) निर्वाचन लड़ने वाला कोई उम्मीदवार या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता शलाका पत्र जारी किये जान के पूर्व निर्वाचन अधिकारी को प्रत्येक आपत्ति के लिए दस रूपये की फीस देकर मतदाता के अभिज्ञान के सम्बन्ध में आपत्ति कर सकता है।

(8) निर्वाचन अधिकारी आपत्ति की संक्षिप्ततः जाँच करेगा और यदि ऐसी जाँच के पश्चात् उसकी यह राय हो कि आपत्ति प्रमाणित नही होती है, तो वह आपत्तिकृत व्यक्ति को शलाका पत्र देगा जिसके पृष्ठ पर निर्वाचन अधिकारी अपनी हस्तलिपि में शब्द ''आपत्तिकृत मत''पृष्ठांकित करेगा और हस्ताक्षर करेगा।

(9) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, उपनियम (3) के अधीन शलाका पत्र दिये जाने के पूर्व विनिर्दिष्ट प्रपत्र में एक सूची में अपने से सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने अपना हस्ताक्षर करेगा या यदि निरक्षर हो तो वह अपने अंगूठे का निशान लगायेगा।

(10) उपनियम (8) के अधीन शलाका पत्र प्राप्त होने पर सम्बद्ध व्यक्ति शलाका पत्र पर उस उम्मीदवार के नाम के सामने, जिसे वह मत देना चाहता है, गुप्त रूप से क्रास का चिन्ह ;ग्द्ध लगाकर अपना मत अभिलिखित करेगा और शालाका पत्र निर्वाचन अधिकारी को देगा जो उसे तुरन्त इस प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से रखे गए लिफाफे में रखेगा।

(11) यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो स्वयं को मतदाता सूची में दिये गये किसी विशिष्ट मतदाता रूप में बताये, ऐसे मतदाता के रूप में, दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले से ही मत देने के पश्चात्, शलाका पत्र के लिए आवेदन करता है, तो उसे निर्वााचन अधिकारी को अपने पहचान के सम्बद्ध में समाधान करने के पश्चात् एक शलाका पत्र दिया जायेगा, जिसके पृष्ठ भाग पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपनी हस्तलिपि में शब्द ''निविदत्त शलाका पत्र'' पृष्ठांकित किया जायेगा और हस्ताक्षर किया जायेगा।

(12) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, निविदत्त शालाका पत्र दिए जाने के पूर्व विनिर्दिष्ट प्रपत्र में एक सूची में अपने से सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने अपना हस्ताक्षर करेगा या यदि वह निरक्षर हो तो वह अपने अंगूठे का निशान लगायेगा।

(13) उपनियम 11 के अधीन शलाका पत्र प्राप्त होने पर वह व्यक्ति शलाका पत्र पर उस उम्मीदवार के नाम के सामने, जिसे वह मत देना चाहता है, गुप्त रूप से क्रास का चिन्ह ;ग्द्ध लगाकर अपना मत अभिलिखित करेगा और निविदत्त शलाका पत्र निर्वाचन अधिकारी को देगा जो उसे तुरन्त इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गए लिफाफे में रखेगा।

(14) मतदान करने वाले मतदाता को अपने मत को प्रयोग किये जाने के पूर्व आयोग द्वारा निर्दिष्ट पहचान पत्रों में से किसी एक पहचान पत्र से निर्वाचन अधिकारी को अपने पहचान के सम्बन्ध में सन्तुष्ट किया जाना अनिवार्य होगा।

(15) यदि हस्ताक्षरित मतपत्र बच जाता है तो उसे एक अलग लिफाफे में रखा जायेगा और मतदान के पश्चात् निर्धारित प्रारूप पर प्रयोग किये गये मतपत्र, हस्ताक्षरित शेष मतपत्र, शेष सादे मतपत्र आदि की सूचना भरकर लिफाफे में रखा जायेगा।

(16) निर्वाचन अधिकारी द्वारा डायरी शान्तिपूर्ण ढंग से निर्वाचन सम्पन्न होने की स्थिति में टिप्पणी अंकित करते हुए डायरी को अलग लिफाफे में अलग रखा जायेगा। उक्त डायरी को निर्वाचन परिणाम घोषित होने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेखों के साथ सुरक्षित अभिरक्षा में निर्धारित अवधि तक रखा जायेगा।

44–(1)(क) मतदान समाप्त होने के पश्चात् तुरन्त मतों की गणना की जायेगी और यदि मतदान समाप्त होने के पश्चात् तुरन्त मतगणना करना सम्भव न हो तो, मत पेटियाँ निर्वाचन अधिकारी द्वारा मोहर बन्द कर दी जायेगी और निकटस्थ पुलिस थाने में निरापद अभिरक्षा में रखी जायेगी। उम्मीदवार या उसका अभिकर्ता भी अपनी मोहर, यदि ऐसा चाहे, लगा सकता है।

(ख)निविदत्त मत एवं आपत्तिकृत मत की गणना उन्हीं परिस्थितियों में की जायेगी जब कुल पड़े मतों से परिणाम घोषित किया जाना सम्भव न हो अर्थात् किन्ही दो या अधिक उम्मीदवारों के मतो की संख्या बराबर हो जाये।

(2) कोई शलाका–पत्र अस्वीकार कर दिया जायेगा, यदि–

(1) उस पर मतदाता की पहचान के लिए कोई हस्ताक्षर हो,

(2) उस समिति की मोहर और सम्बद्ध मतदान केन्द्र के निर्वाचन अधिकारी/मतदान अधिकारी का हस्ताक्षर न हो,

(3) उस पर मतदान इंगित करने का कोई चिन्ह न हो,

(4) उस पर भरे जाने वाले स्थान/स्थानों की संख्या से अधिक चिन्ह हो,

(3) यदि किसी शलाका–पत्र पद उम्मीदवार या उम्मीदवारों के लिए चिन्ह इस प्रकार हो जिससे यह स्पष्ट न हो कि किन उम्मीदवारों को मत दिया गया है तो उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा।

(4) निर्वाचन–अधिकारी, गणना पूरी हो जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतो की संख्या बताते हुए निर्वाचन परिणाम की घोषणा करेगा।

(5) बराबर–बराबर मत होने की स्थिति में मामले का विनिश्चय पर्चा डालकर किया जायेगा।

स्पष्टीकरण–निर्वाचन अधिकारी द्वारा समान रंग एवं आकार की पर्ची पर उम्मीदवारों के नाम लिखकर तथा पर्ची को इस प्रकार मोड़कर की उम्मीदवार का नाम पढ़ा न जा सके, शलाका पत्र पेटी में डालेगा और उम्मीदवार से भिन्ना किसी अन्य व्यक्ति से पेटी से एक पर्ची निकलवायेगा। उस पर्ची पर अंकित नाम वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाएगा।

(6) निवार्चन–अधिकारी, निर्वाचित उम्मीदवारों की सूची समिति के सूचना पट्ट पर और ऐसे सार्वजनिक स्थान पर भी जहां वह उचित समझे, प्रदर्शित करेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, लखनऊ की शाखाओं या ऐसी समितियों की स्थिति में जिनका कार्यक्षेत्र एक से अधिक जिले में हो, सूची का प्रदर्शन ऐसी सहकारी समिति के शाखा कार्यालय या उप कार्यालय में किया जायेगा।

(7) उपनियम (6) के अधीन तैयार की गई सूची की एक प्रतिलिपि जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी, आयोग या सम्बन्धित सहकारी समिति के सचिव/प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को भेजी जायेगी।

(8) निर्वाचन सम्बन्धी प्रयुक्त शलाका पत्र और अन्य अभिलेख किसी लिफाफे या आधान (कन्टेनर) में रखे जायेंगे और निर्वाचन अधिकारी/मतदान अधिकारी उन्हें समिति के सचिव/प्रबन्ध निदेशक को भेज देगा, जो उसकी प्राप्ति स्वीकार करेगा और यदि निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई विवाद जिला मजिस्ट्रेट अथवा आयोग को निर्दिष्ट न किया जाय तो दो माह तक उसकी अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा,

प्रतिबन्ध यह है कि किसी निर्वाचन वाद अथवा किसी न्यायालय में निर्वाचन याचिका के लम्बित न रहने की स्थिति में समिति के सचिव या प्रबन्ध निदेशक, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा एक वर्ष व्यतीत हो जाने पर उस नष्ट कर दिया जायेगा।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि सचिव या प्रबन्ध निदेशक, जैसी भी स्थिति हो, का यह उत्तरदायित्व होगा कि अभिलेखों को नष्ट किये जाने के पूर्व आयोग द्वारा विहित प्रारूप पर उसका संक्षिप्त विवरण अंकित करे और उसे सहकारी समिति में रखा जायेगा।

(9) विशेष परिस्थितियों एवं अपरिहार्य कारणों में आयोग जनपद की सभी अथवा किसी वर्ग या वर्गो या किसी विशिष्ट समिति की मत गणना अन्य स्थान पर कराने के निर्देश दे सकता है और ऐसी मतगणना आयोग द्वारा यथा नियत दिनांक को ही करायी जाएगी।

अध्याय–5

सभापति/उपसभापति एवं अन्य समितियों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन

Š**45–(1) सम्बन्धित सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पश्चात् सभापति/उपसभापति एवं अन्य समितियों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन,विनिर्दिष्ट अनुदेशों और विनिर्दिष्ट दिनांक के अधीन कराया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसा ऊपर उल्लिखित नियमों में उपबन्धित की गयी है।**

(2) सभापति एवं उपसभापति, प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों में से निर्वाचित किये जायेंगे।

(3) प्रबन्ध कमेटी के सदस्य अन्य सहकारी समिति के, जिसकी वह सहकारी समिति सदस्य हो, सामान्य निकाय में सहकारी समिति का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन सामान्य निकाय के अर्ह सदस्यों में से करेंगे।

कार्यकालः–

46–(1) प्रत्येक सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का कार्य काल 5 वर्ष होगा, जिसकी गणना उसके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जायेगी।

स्पष्टीकरण–प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व किसी सहकारी समिति का निर्वाचन होने की दशा में नवनिर्वाचित प्रबन्ध कमेटी का कार्यभार निवर्तमान प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् प्रबन्ध कमेटी का निर्वाचन होने की स्थिति में प्रबन्ध कमेटी का निर्वाचन परिणाम घोषित होने के दिवस से कार्यकाल की गणना होगी।

(2) सभापति/उपसभापति का कार्यकाल प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल के सहविस्तारी होगा।

(3) सहयोजित सदस्य का कार्यकाल प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल के सहविस्तारी होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल उसके मौलिक कार्यकाल के आधे से कम हो तो प्रबन्ध कमेटी में हुई किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उस सहकारी समिति के अर्ह सदस्यों में से जिसमें आकस्मिक रिक्ति हुई है, प्रबन्ध कमेटी द्वारा नाम–निर्देशन द्वारा की जा सकती है।

Š शासनादेश संख्या–662/49–01–2017–8(56)–13 टीसी–1,लखनऊ, 26 मई, 2017

अध्याय–6

अनर्हता

47–(1) कोई भी व्यक्ति किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का सदस्य होने या बने रहने का पात्र न होगा, यदि–

(क) उसकी आयु 21 वर्ष से कम हो;

(ख) वह दिवालिया घोषित हो;

(ग) वह विकृत चित्त का हो;

(घ) उसे, आयोग की राय में नैतिक पतन से सम्बन्धित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और ऐसी दोष सिद्धि अपील में रद्द न की गयी हों;

(ङ) वह यह आयोग की राय में, उसके परिवार का कोई सदस्य निबन्धक की अनुज्ञा के बिना, सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र के भीतर उसी प्रकार का कारोबार करना शुरू करे या करता हो, जैसा सहकारी समिति द्वारा स्वयं किया जा रहा हो;

(च) वह अधिनियम या सहकारी समिति की उपविधियों के उपबन्धों के प्रतिकूल सहकारी समिति के साथ कोई व्यवहार या संविदा करे;

(छ) वह सहकारी समिति के अधीन या किसी अन्य सहकारी समिति जो ऐसी समिति से सम्बद्ध हो, के अधीन या कोई लाभ का पद स्वीकार करे या धारण करता हो;

प्रतिबन्ध यह है कि, यह प्रतिबन्ध ऐसे उत्पादकों या कर्मकारों की समितियों पर लागू नहीं होगा, जिनको राज्य सरकार ने अनुज्ञा दे दी हो कि वे अपनी उपविधियों में कर्मचारियों द्वारा सहकारी समिति के प्रबन्ध में भाग लेने की व्यवस्था कर सकते है;

(ज) वह सहकारी समिति के सामान्य निकाय का सदस्य न हो;

प्रतिबन्ध यह है कि, इस खण्ड के उपबन्ध अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (6) एवं (8) के अन्तर्गत आने वाले वृत्तिक व्यक्तियों के सहयोजन पर लागू न होंगे;

(झ) वह अधिनियम या नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया गया हो, जब तक कि दोष सिद्धि के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि व्यतीत न हो गयी हो;

(ञ) वह ऐसा व्यक्ति हो, जिसके विरूद्ध किसी सहकारी समिति के अधिनियम की धारा 91 के अधीन आदेश प्राप्त कर लिया हो और उस आदेश की पूर्ति न हुई हो;

(ट) वह अपने द्वारा लिये गये ऋणों के सम्बन्ध में सहकारी समिति का (कम से कम 6 मास की अवधि से) बाकीदार हो, या वह सहकारी समिति का अधि–निर्णीत ऋणी हो;

(ठ) वह एक ही समय में तीन सहकारी समितियों अर्थात् एक प्राथमिक एक केन्द्रीय और एक शीर्ष सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का पहले से ही सदस्य हो, फिर भी वह तीन से अधिक सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने के लिए हकदार होगा। ऊपर विनिर्दिष्ट तीन से अधिक समितियों की प्रबन्ध कमेटी में उसके निर्वाचित होने की दशा में उसे एक माह के भीतर ऐसी समिति या समितियों की प्रबन्ध कमेटी से त्यागपत्र देना पड़ेगा ताकि वह तीन से अधिक समितियों की प्रबन्ध कमेटी का सदस्य न बना रह सके। यदि वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर त्यागपत्र देने में विफल रहता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति पर यह समझा जायेगा कि उसने एक शीर्ष सहकारी समिति और एक केन्दीय सहाकरी समिति और एक प्राथमिक सहकारी समिति, जिस पर वह बाद में निर्वाचित हुआ है, के सिवाय समस्त सहकारी समिति से त्यागपत्र दे दिया है;

(ड) वह राजकीय सेवा या किसी सहकारी समिति की सेवा या निगमित निकाय से कपट, दुराचरण या अशुचिता करने के लिए पदच्युत किया गया हो और पदच्युति का ऐसा आदेश अपील में रद्द न किया गया हो;

(ढ़) वह ऐसी किसी सहकारी समिति के निबन्धन के प्रार्थनापत्र में सम्मिलित हो या उसकी प्रबन्ध कमेटी का सदस्य रहा हो, जो निबन्धक द्वारा धारा 72 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन इस आधार पर समापित कर दी गयी हो कि सहकारी समिति का, निबन्धन कपटपूर्वक कराया गया था और निबन्धक का ऐसा आदेश अपील में उत्क्रमित न किया गया हो;

(ण) वह अधिनियम या नियम या सहकारी समिति की उपविधियों के किसी उपबन्ध के अधीन अन्यथा अनर्ह हो;

(त) यदि वह किसी गैर ऋण सहकारी समिति, जो केन्द्रीय सहकारी बैंक अथवा उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक का प्रतिनिधि है और वह सहकारी समिति 90 दिनों से अधिक की बकायेदार है;

(थ) यदि वह प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति में केवल जमा करने के उद्देश्य से सदस्य बना हो और उसके द्वारा ऐसी समिति में जमा धनराशि एक हजार रूपये से कम हो गयी हो;

(द) आयोग की राय में किसी व्यक्ति द्वारा निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण अथवा जानबूझ कर कोई कपटपूर्ण कृत्य अथवा कूट रचित अभिलेख के आधार पर निर्वाचन में भाग लिया गया हो, जिसके प्रभाव में उसकी उम्मीदवारी एवं उसके परिणाम पर प्रभाव पड़ा हो;

(ध) यदि उसे किसी अपराध के लिए किसी न्यायालय से दो वर्ष से अधिक का कारावास हुआ हो और जिसके विरूद्ध कोई स्थगनादेश प्राप्त न किया गया हो या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा आदेश को अपास्त न किया गया हो;

Š(न) वह किसी सहकारी बैंक का पूर्व कार्मिक हो,

प्रतिबन्ध यह है कि यह खण्ड, खण्ड (प) में उल्लिखित 16 जिला सहकारी बैंकों की प्रबन्ध कमेटी के सम्बन्ध में लागू होगा,

(प) यह लाइसेन्स हेतु वित्तीय सहायता/अनुदान/अंशपूँजी/ऋण प्राप्त निम्नलिखित 16 जिला सहकारी बैंक की प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचन के पूर्ववर्ती 10 वर्ष पूर्व तक की अवधि में बैंक की प्रबन्ध कमेटी का सदस्य रहा होः–

जिला सहकारी बैंक लि0, देवरिया, बहराइच, सिद्वार्थनगर, सुल्तानपुर, जौनपुर, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, हरदोई, फतेहपुर, सीतापुर, वाराणसी, इलाहाबाद, गाजीपुर एवं फैजाबाद।

Š शासनादेश संख्या–859/49–01–2016–8(56)–13 टीसी–1,लखनऊ, 31 मई, 2016

(2) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का कोई सदस्य, जो प्रबन्ध कमेटी की तीन लगातार बैठकों में बिना किसी उचित कारण के अनुपस्थित रहे, प्रबन्ध कमेटी का सदस्य बने रहने का हकदार न होगा।

(3) उपनियम (2) के उपबन्ध किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी के नाम–निर्दिष्ट या पदेन सदस्य पर लागू नहीं होगें;

(4) कोई व्यक्ति जो किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता के लिए निर्वाचन लड़े किन्तु ऐसे निर्वाचन में हार जाय, आमेलन या नाम–निर्देशन द्वारा प्रबन्ध कमेटी का सदस्य होने के लिए पात्र न होगा।

(5) उपनियम (1) के अधीन निर्धारित अनर्हताएं निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू होंगी;

(क)खण्ड ज में निर्धारित अनर्हताएं प्रबन्ध कमेटी के किसी नाम–निर्दिष्ट या पदेन सदस्य या प्रबन्ध कमेटी के ऐसे सहयोजित सदस्य पर लागू न होंगी जिसके सहयोजन हेतु सहकारी समिति की उपविधियों के अधीन सामान्य निकाय की सदस्यता कोई शर्त नहीं थी;

(ख)उपनियम (1) के खण्ड (घ) या खण्ड (ड) में निर्धारित अनर्हता दोष सिद्धि के अधीन, अर्थदण्ड देने या दोष सिद्ध होने पर दण्ड पा लेने के या पदच्युति के आदेश के बाद, जैसी भी स्थिति हो, 5 वर्ष की समाप्ति के पश्चात् समाप्त हो जायेगी;

(ग) उपनियम (1) के खण्ड (ख) में दी गयी हुई अनर्हता किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी पर लागू न होगी, जिसको धारा 34 के अन्तर्गत किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी में नामांकित किया गया हो;

(घ) कारागार के बन्दियों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए जेल में बनी सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के सम्बन्ध में नियम 47 के उपनियम (1) का उपखण्ड (क), (छ), (झ), (ड), व (ध) लागू नहीं होंगे;

48–किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का यह कर्तव्य होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भी प्रकार अनर्ह हो जाय, प्रबन्ध कमेटी का सदस्य का पद धारण न किये रहे। ज्यों ही यह तथ्य प्रबन्ध कमेटी कीजानकारी में आये, कि कोई सदस्य किसी प्रकार अनर्ह हो गया है, चाहे वह ऐसे सदस्य के पूर्व या उसके पश्चात् अनर्ह हुआ हो, कमेटी इस विषय पर एक बैठक में विचार करेगी, जो इस प्रयोजन के लिए बुलाई जायेगी। ऐसी बैठक की कार्यसूची की एक प्रति उस सदस्य को, जिसके विरूद्ध कार्रवाई करने का प्रस्ताव हो, व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्री डाक द्वारा (प्राप्त अभिस्वीकृति) दी जायेगी। यदि सम्बन्धित व्यक्ति को ऐसी अनर्हता के कारण कमेटी की सदस्यता से हटाने का संकल्प पारित हो जाये तो ऐसे संकल्प की एक प्रति भी सम्बन्धित व्यक्ति को रजिस्ट्री डाक द्वारा (प्राप्त अभिस्वीकृति) भेजी जायेगी और तद्उपरान्त ऐसे सदस्य को किसी अन्य प्रकार से प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के रूप में प्रबन्ध कमेटी की किसी बैठक में कार्य करने या उपस्थिति होने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी। ऐसे सदस्य का पद रिक्त घोषित किया जायेगा। यदि वह व्यक्ति ऐसी कार्यवाही से क्षुब्ध हो तो वह नोटिस प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन पंचनिर्णय करा सकता है।

49–(1) यदि किसी सदस्य या सदस्यों की अर्नहता सम्बन्ध में संज्ञान में आने पर प्रबन्ध कमेटी द्वारा यथा–नियत् कार्यवाही युक्तिसंगत समय पर नहीं की जाती है, तो आयोग को यह

अधिकार होगा कि अधिनियम की धारा (38) के अधीन ऐसे अनर्ह सदस्य या सदस्यों की प्रबन्ध समिति से निकाले जाने के लिए निबन्धक अथवा प्राधिकृत अधिकारी को निर्देशित कर सकता है।

(2) आयोग ऐसे निर्देशन के पश्चात् निबन्धक अथवा प्राधिकृत अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि धारा 38 में विहित प्रक्रिया का पालन करने के लिए यथा आवश्यक कार्यवाही करेगा।

अध्याय–7
निर्वाचन वाद

50–(1) किसी सहकारी समिति के किसी पदाधिकारी या प्रतिनिधि के निर्वाचनसे क्षुब्ध पक्षकारों द्वारा अधिनियम की धारा 70 के अधीन निर्वाचन वाद प्रस्तुत किया जा सकता है–जो निम्नानुसार अभिदिष्ट किया जायेगा–

(क) प्रारम्भिक एवं केन्द्रीय/जनपद स्तरीय समितियों की दशा में सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट को जो प्रारम्भिक सहाकरी समिति की दशा में विवाद का निर्णय स्वयं कर सकता है अथवा अपने अधीन परगनाधिकारियों में से किसी एक को, यथास्थिति, मध्यस्थ अथवा मध्यस्थ मण्डल के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है और केन्द्रीय सहकारी समितियों की दशा में जिला मजिस्ट्रेट विवाद का निर्णय स्वयं कर सकता है अथवा अपने अधीन अपर जिलाधिकारी में से किसी एक को, यथास्थिति, मध्यस्थ अथवा मध्यस्थ मण्डल के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है।

(ख) किसी राज्य स्तरीय/शीर्ष सहकारी समिति की दशा में आयोग को किया जायेगा, जो विवाद का निर्णय स्वयं अथवा किसी निर्वाचन आयुक्त को मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है।

(2) किसी सहकारी समिति के निर्वाचन के सम्बन्ध में सिवाय निम्नलिखित आधार के मध्यस्थ द्वारा या अन्यथा रूप से आपत्ति नहीं की जा सकेगी–

(क) निर्वाचन में भ्रष्टाचार, रिश्वत् या अनुचित प्रभाव का प्रयोग होने के कारण वह निर्वाचन निष्पक्ष नहीं हुआ है,या

(ख) निर्वाचन के परिणाम पर निम्नलिखित कारणों से सारवान् प्रभाव पड़ा होः–

(1) किसी नाम–निर्देशन पत्र को अनुचित रूप से स्वीकार करने, या अस्वीकार करने के द्वारा, या

(2) मत को अनुचित रूप से ग्रहण करने या ग्रहण करने से इन्कार करने या रद्द करने के द्वारा, या

(3) अधिनियम या नियमावली या समिति की उपविधियों के उपबन्धों का अनुपालन करने में घोर चूक करने के द्वारा।

स्पष्टीकरणः–इस नियम के प्रयोजनार्थ भ्रष्टाचार, रिश्वत् या अनुचित प्रभाव के वही अर्थ होगे, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के अधीन प्रत्येक के लिए दिये गये हैं।

(4) निर्वाचन से सम्बधित कोई भी वाद निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 45 दिन के भीतर व्यथित पक्ष द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकेगा।

(5) नियमावली में किसी अन्य बात के होते हुए भी निर्वाचन वाद दाखिल करने वाले वादी द्वारा राज्य सरकार द्वारा नियत् किये गये लेखा शीर्षक में निम्नवत् शुल्क जमा कर मूल रसीद वाद के साथ संलग्न कर प्रस्तुत की जायेगीः–

क– प्रारम्भिक सहकारी सहकारी समितियों की स्थिति में–रू0 एक हजार
ख– जनपद/केन्द्रीय सहकारी समितियों की स्थिति में–रू0 दो हजार
ग– राज्य स्तरीय/शीर्ष सहकारी समिति की स्थिति में–रू0 पांच हजार

प्रतिबन्ध यह है कि शुल्क की रसीद प्रस्तुत न किये जाने पर वाद स्वीकार नहीं किया जायेगा।

अध्याय–8
अपराध एवं शास्तियां

51–सहकारी समिति की निर्वाचित प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व सचिव अथवा प्रबन्ध निदेषक जैसी भी स्थिति हो के द्वारा अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (4) एवं नियम 4 के अधीन निर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना न दिये जाने अथवा निर्वाचन क्षेत्रों के अवधारण हेतु जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी अथवा मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी अथवा आयोग अथवा उसके प्राधिकृत अधिकारी को अपेक्षित समस्त सूचनाएं न दिये जाने पर, आयोग द्वारा प्रारम्भिक सहकारी समिति की स्थिति में सम्बन्धित सचिव या प्रबन्ध निदेषक, जैसी भी स्थिति हो के विरूद्ध रू0 पांच हजार तक का अर्थदण्ड लगाया जा सकता है तथा जिला/केन्द्रीय एवं राज्य स्तरीय/षीर्ष सहकारी समिति की स्थिति में सम्बन्धित सचिव या प्रबन्ध निदेषक, जैसी भी स्थिति हो, के विरूद्ध रू0 दस हजार तक का अर्थदण्ड लगाया जा सकता है और अर्थदण्ड लगायेजाने सम्बन्धित आदेष सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी की चरित्र पंजिका में अंकित करते हुए चस्पा की जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि अर्थदण्ड लगाये जाने के पूर्व समबन्धित व्यक्ति को सुनवाई एवं अपना पक्ष रखे जाने का युक्तिसंगत एक अवसर आयोग द्वारा प्रदान किया जायेगा।

52–जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोग को निर्धारित समयावधि के भीतर जनपद की ऐसी सहकारी समितियों जिनकी प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल आगामी 4 मास में समाप्त हो रहा है, की सूचना न दिये जाने अथवा आयोग द्वारा किसी समिति या समितियों के किसी वर्ग या वर्गों की सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु दिनांक नियत् किये जाने पर निर्धारित समयावधि के भीतर क्षेत्र अवधारण की कार्रवाई न किये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध आयोग द्वारा रू0 पांच हजार तक का अर्थदण्ड लगाया जा सकता है और अर्थदण्ड लगाये जाने सम्बन्धित आदेष सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में अंकित करते हुए चस्पा की जायेगीः

प्रतिबन्ध यह है कि, अन्य विभाग से सम्बन्धित सहकारी समितियों के निर्वाचन से सम्बन्धित अपेक्षित सूचना एवं अभिलेख जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी को सम्बन्धित विभाग के जनपद स्तरीय अथवा अपने विभाग की सहकारी समितियों को पंजीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा यथासमय उपलब्ध न कराये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी रू0 पांच हजार के अर्थदण्ड का दायी होगा और अर्थदण्ड लगाये जाने सम्बन्धी आदेष सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में अंकित करते हुए चस्पा की जायेगीः

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि अर्थदण्ड लगाये जाने के पूर्व सम्बन्धित अधिकारी को सुनवाई एवं अपना पक्ष रखे जाने का युक्तिसंगत एक अवसर आयोग द्वारा प्रदान किया जायेगाः

अग्रतर यह भी प्रतिबन्ध है कि अर्थदण्ड लगाये जाने के पष्चात् भी यदि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों में लगातार चूक की जाती है तो ऐसे अधिकारी के विरूद्ध आयोग द्वारा सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को अनुषासनात्मक कार्रवाई किये जाने की अनुषंसा की जा सकती है और नियुक्ति प्राधिकारी के लिए आयोग की अनुषंसा पर कार्रवाई किया जाना बाध्यकारी होगा।

53–जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी तथा अन्य नियुक्ति अधिकारियों द्वारा अपरिहार्य कारणों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का पालन न किया जाना अपराध समझा जायेगा, जिसके दोष सिद्ध होने पर जुर्माने के रूप में जो रू0 दो हजार तक का हो सकता है, या कारावास से जो छः मास तक हो सकता है अथवा दोनों दण्ड से दण्डनीय होगा।

54–नियम–41 के उल्लंघन में किया गया कोई कृत्य या दी गयी या प्रकट की गयी सूचना को अपराध समझा जायेगा और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों, जिनके विरूद्ध ऐसा अपराध सिद्ध हो जाय, कारावास से, जो छः मास तक हो सकता है, या जुर्माने से जो रू0 दो हजार तक हो सकता है या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

55–नियम–42 के उल्लंघन में किये गये किसी कृत्य के सिद्ध पाये जाने पर आयोग सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध न्यूनतम रू0 दो हजार और अधिकतम रू0 दस हजार का अर्थदण्ड अथवा उसकी चरित्र पंजिका में इस आषय की प्रतिकूल प्रविष्टि किये जाने की अनुषंसा कर सकता है।

56–किसी सहकारी समिति का निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा कपटपूर्ण ढंग से कोई तथ्य प्रस्तुत किये जाने, निर्वाचन सम्बन्धी किसी अभिलेख को विकृत करने या उसमें परिवर्तन करने या उसको नष्ट करता है अथवा ऐसा किये जाने के लिए किसी को अभिप्रेरित करता है, ऐसा कृत्य अपराध समझा जायेगा और दोष सिद्ध होने पर दो वर्ष से अनधिक के कारावास या रू0 पांच हजार के अर्थदण्ड या दोनों से दण्डनीय होगा।

57–इन नियमों में उल्लिखित किसी अपराध के किये जाने पर, सम्बन्धित व्यक्ति विषेष प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा करायी जायेगी।

58–सहकारी समिति के निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि समिति के निर्वाचन कराये जाने में उम्मीदवारों अथवा किसी अन्य मद में प्राप्त धनराषि आयोग द्वारा नियत् कोष अथवा नियत् प्राधिकारी को निर्वाचन समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर हस्तगत करेगा और ऐसा न किये जाने पर आयोग द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध अनुषासनात्मक कार्रवाई किये जाने की अनुषंसा अथवा जुर्माना जो रू0 पांच हजार तक हो सकता है, का अर्थदण्ड अथवा दोनों कर सकता है।

59–यदि आयोग की राय में, किसी उम्मीदवार द्वारा निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण जानबूझकर कोई कपटपूर्ण कृत्य अथवा कूटरचित अभिलेख के आधार पर निर्वाचन में भाग लिया गया है, जिसके प्रभाव से उसकी उम्मीदवारी एवं उसके परिणाम पर सारवान् प्रभाव पड़ा है तो आयोग ऐसे व्यक्ति विषेष/निर्वाचित सदस्य को अनर्ह घोषित कर सकता है तथा भविष्य में निर्वाचन में भाग लेने हेतु कम से कम 3 वर्ष एवं अधिकतम 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है।

60–क–यदि कोई व्यक्ति, आयोग द्वारा उस पर आरोपित अर्थदण्ड को विर्निदिष्ट अवधि के भीतर जमा करने में विफल रहता है तो सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि उक्त धनराषि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के वेतन से कटौती कर आयोग द्वारा निर्दिष्ट खाते में जमा कर आयोग को संसूचित करेगा।

अन्य व्यक्ति की दषा में जुर्माने की धनराषि भू–राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी।

ख–उक्त कर्तव्यों का अनुपालन न किये जाने पर आयोग, राज्य सरकार को सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई किये जाने की अनुषंसा कर सकता है।

अध्याय–9
विविध

61–(क)सहकारी समितियों के स्वतंत्र, स्वच्छ एवं निष्पक्ष निर्वाचन कराया जाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से आयोग जनपद/मण्डल/समिति या समितियों हेतु निर्वाचन पर्यवेक्षक नियुक्त कर सकता है।

(ख) सहकारी निर्वाचन पर्यवेक्षक के अधिकार एवं कर्तव्य के सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश बाध्यकारी होंगे।

62–सहकारी समिति के निर्वाचन हेतु नियुक्त किसी भी निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी, मतदान अधिकारी/गणना अधिकारी को यात्रा भत्ता उनके अपने मूल विभाग के बजट से देय होगा।

63–किसी सहकारी समिति के सचिव या प्रबन्ध निदेशक या सहकारी समितियों के किसी वर्ग या वर्गों के निर्वाचन कराये जाने हेतु किसी व्यक्ति विशेष, जिसे आयोग द्वारा अधिकृत किया गया हो, समुचित रीति से निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने में आवश्यकतानुसार, प्रशिक्षण एवं निर्वाचन सामग्री पर लघु व्यय किया जाता है, तो उस व्यय की प्रतिपूर्ती, जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी के अनुमोदन से की जायेगी।

64–क–किसी सहकारी समिति या किसी वर्ग या वर्गों की सहकारी समितियों के निर्वाचन कराने हेतु धनराशि का निर्धारण आयोग द्वारा, विशेष या सामान्य आदेश से अवधारित किया जायेगा और यह धनराशि उस सहकारी समिति, जिसका निर्वाचन किया जाना है, की निधि से देय होगी।

ख–सम्बन्धित सहकारी समिति का सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक, जैसी भी स्थिति हो, कर्तव्य होगा कि उक्त धनराशि आयोग द्वारा नियत् बैंक खाता में जमा करेगा और खण्ड (क) में अवधारित शुल्क जमा करने का प्रमाण–पत्र संलग्न करते हुये निर्वाचन कराने का अनुरोध करेगा,

प्रतिबन्ध यह है कि अवधारण शुल्क जमा न होने की स्थिति में सहकारी समिति का निर्वाचन नहीं कराया जायेगा और ऐसी स्थिति में निर्वाचन न हो पाने हेतु सम्बन्धित विभाग का सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होगा।

65—सहकारी समितियों के निर्वाचन नियत रीति एवं निष्पक्ष रूप से कराये जाने के उद्देश्य से आयोग द्वारा सहकारी निर्वाचन आचार संहिता प्रख्यापित की जा सकती है जो किसी सहकारी समिति या सहकारी समितियों के किसी वर्ग या वर्गों हेतु निर्वाचन दिनांक अधिसूचित होने की तिथि से आयोग द्वारा नियत किये गये व्यक्ति या व्यक्तियों या प्राधिकारी या प्राधिकारियों पर आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक प्रभावी रहेगी।

66—निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन से सम्बन्धित सभी अधिकारी/कर्मचारी आयोग के नियंत्रण, पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन के अधीन होंगे।

67—इस नियमावली में निर्वाचन से सम्बन्धित किसी प्राविधान के सम्बन्ध में संशय की स्थिति में आयोग का विनिश्चय अन्तिम होगा।

68—सहकारी समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में ऐसा कोई विषय जिसके सम्बन्ध में नियमों में कोई स्पष्ट प्राविधान उल्लिखित न हो तो ऐसे में आयोग के दिशा—निर्देश लागू होंगे।

69—यदि आयोग के संज्ञान में कोई ऐसा सन्दर्भ लाया जाता है, जो इस नियमावली के किसी प्राविधान/उपबन्ध से आच्छादित न हो तो ऐसे प्रकरण पर आयोग द्वारा यथोचित निर्णय लिया जायेगा, जो अन्तिम और बाध्यकारी होगा।

70—इस नियमावली के प्राविधानों के असंगत किसी सहकारी समिति की उपविधियों में किसी बात के होते हुये भी इस नियमावली के प्राविधान ही प्रभावी होंगे।

आज्ञा से,

देबाशीष पण्डा
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

सहकारिता अनुभाग–1

संख्या 579/49–1–2014–8 (56)13 टी0सी0–I

लखनऊ दिनांक 19 मई, 2014

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन् 1966) की धारा 130 के अधीन बनायी गयी उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1968, समय–समय पर संशोधित, के नियम 470 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ञञ) के अनुसरण में गठित उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग द्वारा अपने निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों को विनियमित करने की दृष्टि से राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनायी जाती हैः–

उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली, 2014

अध्याय–1

प्रारम्भिक

(1) यह नियमावली "उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली, 2014" कही जायेगी।

(2) यह नियमावली गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

1–(1) जब तक प्रसंग या सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1965 से है;

(ख) "आयोग" का तात्पर्य "उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग" से है;

(ग) "सहकारी नियमावली" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली 1968 से है;

(घ) "निर्वाचन" का तात्पर्यः–

(1) प्रतिनिधियों, या

(2) प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों या

(3) सहकारी समिति के सभापति/उपसभापति, अथवा अन्य समिति को भेजे जाने वाले प्रतिनिधि के निर्वाचन से है;

(ङ)"मतदाता" का तात्पर्य किसी ऐसे सदस्य/प्रतिनिधि से है, जो अधिनियम, नियम और समिति की उपविधियों के अधीन मतदान करने का हकदार हो और इसके अन्तर्गत किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी में अधिनियम की धारा–24 या धारा–29(7) के अधीन नाम निर्दिष्ट या नियम–42(ख) या 450 के अधीन सहयोजित या नियम–451 के अधीन नाम निर्दिष्ट व्यक्ति भी है और उसके नाम निर्वाचन के लिये तैयार की गई सम्बद्ध समिति या निर्वाचन क्षेत्र की अन्तिम मतदाता सूची में हों;

(च) "मतदाता सूची" का तात्पर्य निम्नलिखित से है–

(एक) प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के निर्वाचन की स्थिति में, सामान्य निकाय के, यथास्थिति प्रतिनिधियों/सदस्यों की सूची;

(दो) समिति के सभापति, उपसभापति या प्रतिनिधियों के निर्वाचन की स्थिति में, सरकारी सेवकों से भिन्न प्रबन्ध कमेटी निर्वाचित, सहयोजित और नाम निदृिष्ट सदस्यों की सूची;

(तीन) सदस्य के प्रतिनिधि के निर्वाचन की स्थिति में, उस क्षेत्र के या जहाँ से सम्बद्ध समिति के सामान्य निकाय में प्रतिनिधि निर्वाचित किया जाना हो, सदस्यों की सूची;

(छ) "उम्मीदवार" का तात्पर्य अधिनियम, नियम या समिति की उपविधियों के अधीन पात्र ऐसे मतदाता से है, जो निम्नलिखित रूप में निर्वाचन लड़ने के लिए नाम–निर्देशन पत्र दाखिल करता हैः–

(एक)–प्रतिनिधि के रूप में, या

(दो)–प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के रूप में, या

(तीन)–सहकारी समिति के सभापति या उपसभापति के रूप में;

(ज) "अनुसूचित जाति", "अनुसूचित जनजाति" और "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का वही तात्पर्य है, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 में उनके लिए दिया गया है;

(झ) "मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी" का तात्पर्य सहकारी समिति के मुख्यालय से सम्बन्धित जनपद के मण्डल के मण्डलीय संयुक्त आयुक्त/उप आयुक्त एवं मण्डलीय संयुक्त निबन्धक/मण्डलीय उप निबन्धक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश अथवा ऐसे अधिकारी से है, जो उक्त पद के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो;

(ञ) "जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी" का तात्पर्य उस जनपद के जिला मजिस्ट्रेट से है, जिसमें सम्बन्धित समिति का मुख्यालय स्थित हो;

(ट) "जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी" का तात्पर्य सहकारी समिति के मुख्यालय से सम्बन्धित जनपद के "सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक", सहकारिता अथवा ऐसे अधिकारी से है जो उक्त पद के कर्तव्यों के निर्वहन के निर्वहन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो;

(ठ) " निर्वाचन अधिकारी" का तात्पर्य राज्य सरकार के किसी ऐसे अधिकारी से है, जिसे आयोग के निर्देशों के अधीन जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी सहकारी समिति या सहकारी समिति के वर्ग या वर्गों या किसी क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए इस निमित्त निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया हो;

(ड) "सहायक निर्वाचन अधिकारी" का तात्पर्य निर्वाचन अधिकारी के कृत्यों के सम्पादन में सहायता करने के लिये जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त एक या एक से अधिक नियुक्त अधिकारी से है;

(ढ) "मतदान अधिकारी" का तात्पर्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों में मतदान स्थल के लिये नियुक्त अधिकारी से है जिसे निर्वाचन अधिकारी के कृत्यों के सम्पादन में सहायता करने और ऐसे अन्य कार्य हेतु नियुक्त किया गया हो, जो इस नियमावली के अधीन अपेक्षित हों;

(ण) "सहकारी निर्वाचन पर्यवेक्षक" का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है, जिसे आयोग द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों या समितियों के किसी वर्ग या वर्गों की सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं नियम संगत कार्रवाई का पर्यवेक्षण किये जाने हेतु नियुक्त किया गया हो;

(त) "चुनाव चिन्ह" का तात्पर्य आयोग द्वारा सहकारी समिति के उम्मीदवारों के निर्वाचन हेतु अनुमोदित प्रतीक चिन्ह से है;

(थ) "निर्वाचन क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है, जहाँ से निर्दिष्ट संख्या में सामान्य निकाय के प्रतिनिधि अथवा प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के निर्वाचन हेतु जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी अथवा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाय;

(द) "निर्वाचन स्थल" का तात्पर्य समिति के कार्यालय या मुख्यालय या जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिसूचित कार्यालय या मुख्यालय के यथासम्भव निकटतम किसी सार्वजनिक स्थल से है;

(ध) "मतदान स्थल" का तात्पर्य समिति के कार्यालय या मुख्यालय या जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिसूचित किसी सार्वजनिक स्थल से है तथा सामान्य निकाय के गठन हेतु प्रतिनिधियों के निर्वाचन के मामले में मतदान स्थल, समिति के कार्यालय या मुख्यालय या शाखा के अतिरिक्त कोई अन्य सार्वजनिक स्थान होगा, जैसा निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवधारित किया गया हो;

(न) "निर्वाचन वाद" का तात्पर्य सहकारी समिति के निर्वाचन के पश्चात् निर्वाचन से क्षुब्ध पक्षकारों द्वारा अधिनियम की धारा 70 के अधीन संस्थित वाद से है।

2—इस नियमावली में प्रयुक्त परन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम और सहकारी नियमावली में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हैं।

अध्याय—2

सहकारी समितियों के निर्वाचन के सामान्य नियम

3—उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी, किसी सहकारी समिति या समितियों या सहकारी समितियों के किसी वर्ग या वर्गों का निर्वाचन अधिनियम और इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार होगा।

4—सहकारी समिति के सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक का यह कर्तव्य होगा कि निर्वाचित प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल के समाप्ति के दिनांक के 4 मास पूर्व, उस जिले, जिसमें समिति का पंजीकृत मुख्यालय स्थित है, के जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी अथवा उस प्राधिकारी, जिसे समिति के किसी वर्ग या वर्गों के लिए आयोग द्वारा, ऐसे प्रायोजन के लिए अधिकृत किया गया हो, को लिखित रूप से समिति की निर्वाचित प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक की सूचना देगा और अवधारण शुल्क जमा किए जाने का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए समिति के निर्वाचन कराए जाने का अनुरोध करेगा।

5—(क) सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल के समाप्त होने की सूचना प्राप्त होने पर जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह जनपद की समस्त ऐसी समितियों, जिनका कार्यकाल आगामी 4 मास के भीतर समाप्त हो रहा हो, की संकलित सूचना आयोग को दे और निर्वाचन हेतु तिथि निर्धारित किये जाने की संस्तुति करे।

(ख)सहकारिता एवं अन्य विभागों की सहकारी समितियों को पंजीकृत करने वाले अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि, वह अपने क्षेत्राधिकार की सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु अपेक्षित सूचना एवं अभिलेख जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी एवं आयोग को या आयोग के प्राधिकृत अधिकारी को अपेक्षा किये जाने पर उपलब्ध कराए।

6—उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1968 में किसी बात के होते हुए भी निबन्धक का यह उत्तरदायित्व होगा कि किसी नई समिति को पंजीकृत करने के पश्चात् अथवा धारा 35 के अधीन प्रबन्ध कमेटी को अवक्रमित किये जाने अथवा समिति के समामेलन, विभाजन, अवक्रान्त या अन्य आकस्मिक दशाओं में गठित अन्तरिम कमेटी की तत्काल सूचना प्रबन्ध कमेटी के सम्यक् निर्वाचन कराने के उद्देश्य से आयोग को प्रदान करे।

उक्त के अतिरिक्त निबन्धक का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि किसी समिति को परिसमापित किये जाने अथवा निबन्धन निरस्त किये जाने का आदेश दिये जाने पर उक्त आदेश के सम्बन्ध में आयोग को संसूचित करते हुए यह अनुरोध करें कि सम्बन्धित समिति का निर्वाचन न कराया जाय।

7—जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी या निबन्धक या समिति के सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक से निर्वाचन कराये जाने की सूचना प्राप्त होने पर आयोग समितियों के किसी वर्ग या वर्गों के लिये निर्वाचन तिथि निर्धारित करेगा। आयोग द्वारा ऐसा किये जाने पर उस जिले का जिला मजिस्ट्रेट या जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी, जहाँ समिति का मुख्यालय स्थित हो, नियत दिनांको को निर्वाचन कराने के लिए कार्रवाई करेगा, और इस प्रयोजन के लिए किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की सेवाओं की उसके द्वारा अपेक्षा की जा सकती है और यदि किसी कर्मचारी या अधिकारी के सम्बन्ध में ऐसा कोई आदेश जिला मजिस्ट्रेट या जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किया गया है तो उसका पालन न करना अपराध समझा जायेगा, जिसके सिद्ध होने पर, वह जुर्माने से जो तीन हजार रूपये तक हो सकता है या कारावास से जो तीन माह तक हो सकता है या दोनों से दण्डित किया जायेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटड, लखनऊ की शाखाओं के सदस्यों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन कराने का प्राधिकार उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट में निहित होगा जहाँ ऐसी शाखा स्थित होः

8— किसी सहकारी समिति या समितियों या सहकारी समितियों के किसी वर्ग या वर्गों का निर्वाचन ऐसे दिनांक को होगा, जो आयोग नियत करे और सम्बद्ध जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी इस प्रकार नियत् किये गये दिनांक पर, इस प्रायोजन के लिए समितियों के भिन्न—भिन्न वर्ग या वर्गों के लिए या भिन्न—भिन्न क्षेत्रों के लिए एक या एक से अधिक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि उस विभाग का जो समिति के प्रबन्ध या प्रशासन से सम्बद्ध हो, कोई अधिकारी/कर्मचारी, निर्वाचन अधिकारी नियुक्त नहीं किया जायेगा।

9— निर्वाचन अधिकारी ऐसे समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा जो इस नियमावली के अधीन व्यादिष्ट किये जाएं या उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिये प्रासंगिक या आवश्यक हों, किन्तु किसी निर्वाचन अधिकारी की अनुपस्थिति में कोई सहायक निर्वाचन अधिकारी अथवा मतदान अधिकारी जिसे जिला

सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो, निर्वाचन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करेगा।

10—इस नियमावली के किन्ही अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिये ऐसे सरकारी सेवकों में से, जो समितियों के प्रबन्ध और प्रशासन से सम्बद्ध न हो, निर्वाचन के संचालन में अपनी सहायता के लिये मतदान अधिकारी प्रतिनियुक्त कर सकता है।

11—समिति की प्रबन्ध कमेटी तथा सम्बद्ध सहकारी समिति का प्रत्येक अधिकारी, निर्वाचन कराने मे निर्वाचन अधिकारी को पूरी सहायक देने के लिये बाध्य होंगे और ऐसे सभी अभिलेख उपलब्ध करायेंगे जिनकी निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन हेतु अपेक्षा की जाय।

Š **12—(क) समिति का सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक समय—समय पर आयोग द्वारा दिये गये निदेशों या तत्समय प्रवृत्त उपबन्धों के अनुसार समस्त मतदाताओं की सूची, जिनके नाम के सम्मुख अधिनियम, इस नियमावली अथवा उपविधियों में यथा वर्णित कोई अनर्हताएं, यदि कोई हो, उल्लिखित की जायेगी, तैयार करेगा और निर्वाचन के दिनांक के 45 दिन पूर्व सम्यक् रूप से नामांकित सदस्य, साधारण सदस्य या सहानुभूति सदस्य सम्मिलित किये जायेंगेः**

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी समितियों, जो परिसमापनाधीन हो अथवा प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचन न होने के कारण निलम्बित/अधिक्रमित की गई हों, के प्रतिनिधि उक्त मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

13—नियम—12 के अनुसार तैयार की गई अन्तिम सूची, निर्वाचन अधिकारी द्वारा उस दिनांक, समय और स्थान पर जो निर्वाचन कार्यक्रम में अधिसूचित की जाय, प्रदर्शित की जायेगी।

14—कोई उम्मीदवार, प्रबन्ध कमेटी के एक से अधिक पद के लिए साथ—साथ निर्वाचन लड़ने के लिए अर्ह न होगा। यदि एक से अधिक पद के लिये नाम—निर्देशन पत्र वैध पायें जाये तो उसे केवल एक पद के लिये विकल्प देना होगा तथा अन्य के लिए अपना नाम—निर्देशन—पत्र वापस लेगा। ऐसी वापसी के लिए निश्चित दिनांक के पूर्व यदि वह अपने विकल्प का प्रयोग करने में चूक करे, तो उसके समस्त नाम—निर्देशन—पत्र अवैध हो जायेंगे।

15—सहकारी समिति के अर्ह साधारण एवं सहानुभूतिकर सदस्य को, चाहे समिति की पूंजी में उसके हित की मात्रा कितनी ही क्यों न हो, समिति के निर्वाचन में केवल एक मत देने का अधिकार होगा।

16—यदि किसी अभ्यर्थी, जिसका नामांकन नियम 49 के अधीन विधि द्वारा मान्य पाया गया हो और जिसने अपनी अभ्यर्थिता वापस न ली हो, मृत्यु हो जाती है और मतदान होने के पूर्व उसकी मृत्यु की सूचना प्राप्त हो जाती है तो निर्वाचन अधिकारी, उस अभ्यर्थी की मृत्यु के तथ्य के सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेने के पश्चात् सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के मतदान को स्थगित कर देगा और इसकी सूचना जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी और आयोग को देगा और उस निर्वाचन क्षेत्र या पद के लिये नामांकन नये सिरे से दाखिल किये जायेगे. किन्तु उस व्यक्ति के लिए जो मतदान स्थगित किये जाने के समय निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी था, कोई अतिरिक्त नामांकन आवश्यक न होगा, और ऐसा व्यक्ति जिसने

मतदान स्थगित कर दिये जाने के पूर्व अपना नामांकन वापस लिया था, वह ऐसे स्थगन किये जाने के पश्चात नामांकन दाखिल किये जाने के लिये अनर्ह न होगा और मतदान ऐसे स्थगन के पश्चात उस दिनांक को होगा जो आयोग द्वारा नियत किया जाय।

17—समिति के निर्वाचन से सम्बन्धित प्रकिया प्रारम्भ हो जाने पर, नियम—16 में उल्लिखित कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से कोई निर्वाचन प्रक्रिया रोकी नहीं जायेगी,

परन्तु यह कि यदि मतदान स्थल पर बलवे या खुली हिंसा के कारण मतदान या निर्वाचन की किसी कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न हो जाय या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण निर्वाचन कराया जाना सम्भव न हो तो ऐसे निर्वाचन के लिए नियुक्त निर्वाचन अधिकारी, बाद में अधिसूचित किये जाने वाले आगामी दिनांक तक के लिये निर्वाचन के स्थगन की घोषणा करेगा। ऐसे स्थगन की सूचना तत्काल जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी और आयोग को दी जायेगी जिस पर आयोग निर्वाचन के लिये नया दिनांक नियत करेगा,

परन्तु यह और कि, निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रयोग की जा रही मतदान डायरी में पूरे घटनाक्रम का क्रमबद्ध/समयबद्ध वर्णन करने के पश्चात् ही निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित की जाएगी।

18—यदि किसी कारण से निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी समिति का निर्वाचन रोका गया है तो निर्वाचन की प्रक्रिया उस प्रक्रम से, जहाँ पर उसे रोका गया था, या उसके पूर्व के प्रक्रम से या नये सिरे से, जैसा कि आयोग विनिश्चय करे, प्रारम्भ की जायेगी,

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नामांकन के पश्चात वैध नाम—निर्देशन पत्रों पर चुनाव चिन्हों का आवंटन कर दिया गया है तो निर्वाचन की कार्यवाही आगे चलायी जायेगी और निर्वाचन ऐसे दिनांक को कराया जायेगा जो आयोग नियत करें,

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी सहकारी समिति का निर्वाचन अधिनियम की धारा—29 की उपधारा (3) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन आयोग द्वारा स्थगित किया जाता है तो निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया नये सिरे से प्रारम्भ की जायेगी।

19—प्रत्येक निर्वाचन में मतदान समाप्त होने के पश्चात् मतपत्रों की गणना निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 44 में विहित रीति और आयोग के दिशा—निर्देशों के अधीन करायी जायेगी और प्रत्येक अभ्यर्थी, उसके निर्वाचन अभिकर्ता और गणना अभिकर्ता को यह अधिकार होगा कि वह गणना के समय उपस्थित रहें।

20—अधिनियम के उपबन्ध एवं इस नियमावली के अधीन जारी किये गये सहकारी नियम, आदेश एवं दिशा—निर्देश प्रत्येक पुनर्मतदान पर उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे कि वह मूल मतदान में लागू होते हैं।

21—(1)यदि निर्वाचन के पश्चात् किसी समिति की प्रबन्ध कमेटी में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, निर्वाचित किये जाने वाले विहित संख्या से कम पायी जाती है तो रिक्त स्थानों के लिए निर्वाचन, यथासम्भव शीघ्र कराये जायेंगे,

प्रतिबन्ध यह है कि सभापति/उपसभापति और प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए मताधिकार प्राप्त सदस्यों की संख्या के आधे से अधिक सदस्य का होना अनिवार्य है।

(2) यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि समिति की निष्क्रियता या अन्य कारणों से किसी समिति का निर्वाचन कराया जाना सम्भव नहीं है, तो आयोग ऐसी समिति विशेष को परिसमाप्त किये जाने के लिए सम्बन्धित प्राधिकारी को संस्तुति कर सकता है और सम्बन्धित प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि समिति को सुनवाई का अवसर देते हुए विधि अनुसार समिति को परिसमाप्त करने या समिति का पंजीकरण निरस्त किये जाने की कार्रवाई करे।

22—सहकारी समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में आयोग द्वारा समय—समय पर निर्गत निर्देश बाध्यकारी होंगे।

अध्याय—3
सामान्य निकाय एवं प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचन क्षेत्र का अवधारण

23—आयोग द्वारा किसी सहकारी समिति अधवा सहकारी समितियों के किसी वर्ग या वर्गों के लिए निर्वाचन तिथिया अधिसूचित किए जाने के पश्चात् सम्बन्धित सहकारी समिति अथवा सहकारी संमितियों के किसी वर्ग या वर्गों के निर्वाचन के लिए क्षेत्र अवधारण की कार्रवाई की जाएगी।

24—समस्त प्रकार की प्रारम्भिक सहकारी समितियों के पंजीकृत मुख्यालय से सम्बन्धित जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम—27 एवं 28 में विहित रीति एवं आयोग द्वारा दिए गये दिशा निर्देशों के अधीन आवश्यक होने पर सामान्य निकाय के प्रतिनिधियों, सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी के मदस्यों, सभापति, उप सभापति तथा अन्य सहकारी समितियों में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु क्षेत्र अवधारण की कार्यवाही की जाएगी।

प्रतिबन्ध यह है कि, जिला केन्द्रीय सहकारी समितियों की स्थिति में क्षेत्र अवधारण की कार्रवाई मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाएगी।

25—राज्य स्तरीय/शीर्ष सहकारी समिति की दशा में क्षेत्र अवधारण की कार्रवाई आयोग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी।

26—निर्वाचन क्षेत्रों के अवधारण के लिए समिति का सचिव अथवा यथास्थिति प्रबन्ध निदेशक, वह समस्त सूचनाएं अथवा तथ्य, जिसकी अपेक्षा जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी अथवा मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी अथवा आयोग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समय—समय पर की जाए, उपलब्ध करायेगा।

27—(1) सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों या यथास्थिति, सहकारी समिति के सामान्य निकाय के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी अथवा मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी अथवा आयोग अथवा प्राधिकृत अधिकारी, सहकारी समिति की उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी, सहकारी समिति या यथास्थिति सहकारी समिति के किसी वर्ग या वर्गों के निर्वाचन के लिए अनन्तिम रूप से निम्नलिखित बातों का अवधारण करेगाः—

(क) निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, जिसमें सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र को विभाजित किया जायेगा.

(ख) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार,

(ग) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आवंटित स्थानों की संख्या,

(घ) क्षेत्र का चिन्हांकन तथा आरक्षित स्थानों की संख्याः

प्रतिबन्ध यह है कि निर्वाचन क्षेत्रों का नाम हिन्दी वर्णमाला में उल्लिखित किया जायेगा।

(2)—तदुपरान्त जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी अनन्तिम रूप से किये गये अवधारणा पर आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए, सुनवाई की तिथि अंकित कर उक्त अवधारण को किसी प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करेगा, जिसमें ऐसे प्रकाशन के दिनांक से 7 दिन के भीतर आपत्तियां आमंत्रित की जायेंगी। जिसकी एक प्रतिलिपि सम्बद्ध समिति को भी टीका—टिप्पणी के लिए भेजी जायेगी

प्रतिबन्ध यह है कि प्रारम्भिक, जिला/केन्द्रीय सहकारी समितियों की स्थिति में प्रकाशन मण्डल से प्रसारित होने वाले प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जायेगा और राज्य स्तरीय/शीर्ष सहकारी समिति की दशा में प्रकाशन मण्डल स्तरीय दैनिक समाचार पत्र के सभी संस्करणों में प्रकाशित किया जायेगाः

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी प्रारम्भिक, जिला/केन्द्रीय सहकारी समिति, जिसका कार्यक्षेत्र एक राजस्व जनपद से अधिक हो, के अनन्तिम अवधारण का प्रकाशन ऐसे प्रमुख दैनिक समाचार पत्र, जो समिति के कार्यक्षेत्र में प्रसारित होता हो, में किया जायेगा।

(3)–निर्वाचन क्षेत्र के अवधारण का मापदण्ड निम्नलिखित में एक या अधिक हो सकता है, अर्थातः–

1. राजस्व क्षेत्र
2. सदस्यता का/के वर्ग
3. समिति के कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में अन्य तर्गसंगत आधारः

प्रतिबन्ध यह है कि प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति अथवा प्रारम्भिक गन्ना समिति/दुग्ध समिति की स्थिति में अवधारण की इकाई यथासम्भव समिति के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली एक या अधिक ग्राम पंचायत होगी।

(4)–(क)अनन्तिम अवधारणा के अधीन प्राप्त आपत्तियों और टिप्पणियों पर जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे प्रकाशन के ग्यारहवें/बारहवें/तेरहवें दिन, जैसा कि अनन्तिम अवधारण में उल्लिखित हो, में सम्बन्धित आपत्तिकर्ता मे सुनवाई कर विचार करेगा और सुनवाई के पश्चात् सम्बन्धित पंजिका पर आपत्ति एवं सुनवाई में प्राप्त कथन का संक्षिप्त विवरण अंकित कर उस पर आपत्तिकर्ता से हस्ताक्षर करायेगा और स्वयं भी हस्ताक्षर करेगा।

(ख)–प्रश्नगत सुनवाई में लिये गये निर्णय से सम्बन्धित उल्लिखित तथ्यों की प्रतिलिपि आपत्तिकर्ता द्वारा दस रूपये प्रति पृष्ठ जमा कर प्राप्त की जा सकती है।

(5)–तदुपरान्त, जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी/सक्षमप्राधिकारी द्वारा प्राप्त आपत्तियां के निस्तारण के सम्बन्ध में यथा आवश्यक टिप्पणी सम्बन्धित पंजिका मेंअंकित करते हुए निर्वाचन क्षेत्रों, स्थानों की संख्या और आरक्षित स्थानों की संख्या का अन्तिम अवधारण करेगा। इस प्रकार किये गये अन्तिम अवधारण को अनन्तिम प्रकाशन के पन्द्रहवें दिन ऐसे समाचार पत्र में प्रकाशित करेगा, जैसा उपनियम (2) में उल्लिखित हैं। ऐसे अवधारण की एक प्रतिलिपि सम्बद्ध समिति को भी जायेगी।

28–जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारीअधिनियम की धारा 29(5) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के उपबन्धों के अधीन आरक्षित स्थानों के लिए निर्वाचन क्षेत्र/क्षेत्रों को आरक्षित करेगा और ऐसा आरक्षण उस निर्वाचन क्षेत्र/क्षेत्रों के, जहां से प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन किया जाना हो, नामों के हिन्दी वर्णमाला के क्रम में रखकर चक्रानुक्रम में उस सीमा तक किया जाये, जहां तक स्थान आरक्षित किया जाना आवश्यक होः

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार आरक्षित क्षेत्रों को निम्न प्रकार से हिन्दी वर्णमाला के क्रम में आवंटित किया जायेगाः–

(1) एक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए,
(2) एक नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए,
(3) दो महिलाओं के लिए,

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि जहां एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों के नाम का प्रथम अक्षर एक समान हो, वहां ऐसे मामलों में आरक्षण एक निर्वाचन क्षेत्र के नाम के अगले अक्षर द्वारा विनियमित किया जायेगा।

29–जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी का यह भी कर्तव्य होगा कि समितियों के अवधारण से सम्बन्धित अनन्तिम एवं अन्तिम अवधारण की एक प्रति सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी तथा आयोग को भी उपलब्ध करायेगा।

अध्याय–4
सामान्य निर्वाचन प्रक्रिया

30–आयोग द्वारा किसी सहकारी समिति या समितियों के किसी वर्ग या वर्गों के निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत किए जाने पर उस जिले का जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट, जिसमें समिति का मुख्यालय स्थिति हो, आयोग के दिशा–निर्देशों के अधीन रहते हुए निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करेगा।

31–जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी अपने अधिकारिता क्षेत्र/क्षेत्रों की ऐसी सहकारी समितियों, जिनका मुख्यालय उसके सम्बन्धित जिले में है और जिनका निर्वाचन होना है, के निर्वाचन से सम्बन्धित आयोग द्वारा अधिसूचित निर्वाचन कार्यक्रम को स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में अनन्तिम क्षेत्र अवधारण के पश्चात् प्रकाशित करेगा।

32–उक्त निर्वाचन कार्यक्रम के प्रकाशन में, जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी निर्वाचन हेतु निर्वाचन स्थल एवं मतदान स्थल का निर्धारण करेंगे और उसे सूचना में अंकित करेंगे और सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक, जैसी स्थिति हो, से यह अपेक्षा करेंगे कि उक्त कार्यक्रम की एक प्रति समिति के सूचना पट पर चस्पा की जायः

प्रतिबन्ध यह है कि मतदान का स्थान समिति का कार्यालय या मुख्यालय होगा परन्तु, अपरिहार्य कारणों से जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय किया गया मतदान स्थल, समिति के कार्यालय या मुख्यालय के यथासम्भव निकट कोई सार्वजनिक स्थल भी हो सकता हैः

अग्रसर प्रतिबन्ध यह है कि सहकारी नियमावली के नियम–84–क के उप नियम–(4) में यथा उल्लिखित समिति के प्रतिनिधियों के चुनाव के मामलें में मतदान का स्थल समिति के कार्यालय या मुख्यालय या शाखा के अतिरिक्त कोई अन्य सार्वजनिक स्थान, जैसा कि जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाय, हो सकता है।

33–(क) समिति के सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक का यह उत्तरदायित्व होगा कि समिति के निर्वाचन कार्यक्रम एवं मतदान स्थल की सूचना अनन्तिम मतदाता सूची प्रकाशित होने की तिथि से कम 15 दिन पूर्व समिति के सूचना पट पर प्रदर्शित करें:

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त सूचना प्रारम्भिक सहकारी समिति की स्थिति में, सम्बन्धित विकास खण्ड, जिला/केन्द्रीय सहकारी समिति की स्थिति में सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय एवं राज्य स्तरीय/शीर्ष सहकारी समिति की स्थिति में आयुक्त एवं निबन्धक तथा आयोग के कार्यालय के सूचना पट पर भी प्रदर्शित की जाएगी।

(ख) निर्वाचन कार्यक्रम में निम्नलिखित को प्रदर्शित किया जायेगाः–

(एक)अनन्तिम मतदाता सूची के प्रदर्शन का दिनांक;
(दो) अनन्तिम मतदाता सूची पर आपत्तियां दाखिल करने और उनके निस्तारण का दिनांक, समय और स्थान;
(तीन) अंतिम मतदाता सूची के प्रदर्शन का दिनांक;
(चार) नाम–निर्देशन पत्र दाखिल करने का दिनांक, समय और स्थान;
(पाँच) नाम–निर्देशन पत्रों के परिनिरीक्षण का दिनांक, समय और स्थान;
(छः) नाम–निर्देशन पत्र वापस लेने का दिनांक, समय और स्थान;
(सात) निर्वाचन चिन्ह आवंटित करने और अंतिम नाम–निर्देशन प्रदर्शित करने का दिनांक, समय और स्थान;
(आठ) मतदान का दिनांक, समय और स्थान;
(नौ) वह स्थान जहाँ मतदाता द्वारा मतदाता सूची का निरीक्षण किया जा सकता है;
(दस) निर्वाचन क्षेत्रों के नाम, जिसमें आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र भी सम्मिलित है और निर्वाचन किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या;

प्रतिबन्ध यह है कि, क्रमांक–(एक) से (आठ) में दिनांक एवं समय वह होगा, जो आयोग द्वारा निर्धारित किया जाय तथा क्रमांक–दस की सूचना एवं स्थान वह होगा, जो जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जाय।

34–निर्वाचन से सम्बद्ध समिति का सचिव/प्रबन्ध निदेशक नियम–12 के अधीन रहते हुए निम्नलिखित आधार पर अनन्तिम मतदाता सूची तैयार करेगा–
(एक) उन समितियों की स्थिति में जिनके सामान्य निकाय में अलग–अलग सदस्य हों, या उन समितियों की स्थिति में जिनके सामान्य निकाय में अलग–अलग सदस्यों के प्रतिनिधि हों,
(दो) उन सतितियों की स्थिति में, जिनके सामन्य निकाय में अलग–अलग सदस्य और समिति सदस्य सम्मिलित हों, अलग–अलग सदस्यों की एक सूची तीन प्रतियों में तैयार करायेगा जिसमें उन दिनांक को जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, समिति की पुस्तिकाओं में अंकित नाम, पिता का नाम, पता, अनर्हता यदि कोई हो, दिखाया जायेगा, जिसे आगे अनन्तिम सूची कहा गया है और यह सूची निम्नलिखित रीति से तैयार की जायेगीः–
(क) प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों, प्रारम्भिक गन्ना समितियों एवं प्रारम्भिक दुग्ध समितियों की स्थिति में ग्राम पंचायत/राजस्व ग्रामवार,
(ख) नगर क्षेत्र में स्थित प्रारम्भिक सहकारी समितियों जिसमें उपभोक्ता सहकारी समितियाँ भी हैं, में मोहल्लावार/वार्डवार और नगर क्षेत्र से भिन्न क्षेत्रों में ग्राम पंचायतवार,
(ग) अन्य समितियों की स्थिति में निर्वाचन क्षेत्रवार या सभी सदस्यों के अनुपातिक क्रमानुसार/निर्वाचन क्षेत्रवार या अन्य किसी तर्कसंगत आधार जैसा कि, आयोग द्वारा विनिश्चित किया जायेः

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी सहकारी समिति की स्थिति में जिसकी सदस्य अन्य समितियाँ या खण्ड–(2) के अन्तर्गत आने वाली समितियाँ हो, ऐसी सूची समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम एवं पता सहित, या यदि निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम अनन्तिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के पूर्व प्राप्त न हो, तो वर्तमान प्रतिनिधियों के नाम सहित, टिप्पणी अंकित करते हुए निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगीः

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, लखनऊ की शाखाओं या ऐसी समितियों जिनका कार्यक्षेत्र एक से अधिक राजस्व जिले में हो और जिसकी सदस्यता में अलग–अलग सदस्य हों, ऐसी सूची, यथास्थिति, उप कार्यालय के प्रभारी या सम्बद्ध शाखा के शाखा प्रबन्धक द्वारा तैयार की जायेगी और निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

(3) अनन्तिम मतदाता सूची को समिति के सचिव/प्रबन्ध निदेशक, जैसी स्थिति हो, द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित करते हुए निर्वाचन अधिकारी को यथासमय उपलब्ध कराएगा।

35–निर्वाचन अधिकारी उक्त अनन्तिम मतदाता सूची को निर्वाचन कार्यक्रम में निर्धारित तिथि एवं समय पर समिति के मुख्यालय या आवश्यकतानुसार समिति के उपकार्यालय/शाखाओं के कार्यालय में प्रदर्शित करेगा।

36–अन्तिम मतदाता सूची के सम्बन्ध में आपत्तियाँ यदि कोई हो, निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत दिनांक, समय और स्थान पर सुना जायेगा और उसका निस्तारण करते हुए अन्तिम मतदाता सूची तैयार की जाएगी।

37–अन्तिम मतदाता सूची जो निर्वाचन–क्षेत्रवार, निर्वाचन अधिकारी द्वारा उक्त निस्तारण करते हुए तैयार की गयी थी, को उस पर अपने हस्ताक्षर अंकित करते हुए उसे निर्वाचन स्थल, समिति के मुख्यालय और आवश्यतानुसार समिति के उपकार्यालय या शाखा में प्रदर्शित किया जायेगा। मतदाता सूची रू0 दस प्रति पृष्ठ अथवा आयोग द्वारा समय–समय पर यथा नियत मूल्य का भुगतान करने पर निर्वाचन अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से समिति के मुख्यालय/शाखा से प्राप्त की जा सकेगी।

38–अन्तिम मतदाता की सूची की एक प्रति निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी को भी तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

39(1)–कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित फीस देकर नाम–निर्देशन प्रपत्र (प्रपत्र–ट) निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त कर सकता हैः–

(क) प्रारम्भिक सहकारी समितियों की स्थति मेंः–

(एक) प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के नामांकन हेतु–	पाँच सौ रूपये
(दो) सभापति/उपसभापति पद पर नामांकन हेतु–	एक हजार रूपये
(तीन)प्रतिनिधि पद पर नामांकन हेतु–	एक सौ रूपये

(ख) जिला/केन्द्रीय सहकारी समितियों की स्थिति मेंः–

(एक) प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के नामांकन हेतु–	एक हजार रूपये
(दो) सभापति/उपसभापति पद पर नामांकन हेतु–	दो हजार रूपये
(तीन) प्रतिनिधि पद पर नामांकन हेतु–	पाँच सौ रूपये

(ग) राज्य स्तरीय/शीर्ष सहकारी समितियों की स्थिति मेंः–

(एक) प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के नामांकन हेतु–	दो हजार रूपये
(दो) सभापति/उपसभापति पद पर नामांकन हेतु–	पाँच हजार रूपये
(तीन) प्रतिनिधि पद पर नामांकन हेतु–	एक हजार रूपये

(2) उपनियम (1) में निर्धारित शुल्क की धनराशि, आयोग द्वारा नियत् बैंक खाते अथवा निर्वाचन अधिकारी को अदा करके प्रपट 'ट' एवं सम्बन्धित शुल्क की रसीद अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कर नामांकन प्रपत्र उक्त रसीद के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) समिति के निर्वाचन अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि नामांकन शुल्क एंव अन्य मदों में प्राप्त धनराशि, प्रत्येक दशा में निर्वाचन परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के भीतर आयोग द्वारा नियत् किये गये बैंक खाता में जमा कर उसका विवरण एवं प्रमाण जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी का उपलब्ध करायेगा।

40–(1) किसी भी व्यक्ति का नाम निर्देशन प्रपत्र समिति का निर्वाचन अधिकारी स्वीकार नहीं करेगा, यदि वह व्यक्ति–

क–मतदान के लिए पात्र न हो;

ख–अधिनियम, निर्वाचन नियमों या समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अधीन अनर्ह हो अथवा आयोग द्वारा निर्वाचन के लिए अनर्ह घोषित किया गया हो।

(2) नाम निर्देशन के लिए प्रस्ताव प्रपत्र ''ट'' में निर्वाचन अधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा। नाम–निर्देशन के सम्बन्ध में आपत्ति भी उसे सम्बोधित की जायेगी और ऐसी आपत्ति किसी मतदाता द्वारा ही की जायेगी।

(3) उम्मीदवार अपना नाम–निर्देशन व्यक्तिगत रूप से या अपने प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा और निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसकी प्रविष्टि एक रजिस्टर में, प्रत्येक दशा में कालानुक्रम में की जायेगी और वह उसकी प्राप्ति भी स्वीकार करेगा और प्रपत्र ''ट'' की प्राप्ति रसीद सम्बन्धित उम्मीदवार या उसके नामित अभिकर्ता को उपलब्ध करायी जायेगीः

प्रतिबन्ध यह है कि नाम निर्देशन का प्रस्तावक और अनुमोदक उम्मीदवार से भिन्न कोई अन्य अर्ह मतदाता उसी निर्वाचन क्षेत्र का होगा।

(4) निर्वाचन अधिकारी द्वारा रजिस्टर में निम्नलिखित बातें उल्लिखित की जायेगीः–

(क) उम्मीदवारों का नाम, पिता का नाम, पता;

(ख) प्रस्तावक और अनुमोदक का नाम, पिता का नाम एवं पता;

(ग) नाम–निर्देशन पत्र प्राप्त होने का दिनांक, समय और उस पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।

(5) निर्वाचन अधिकारी, नाम–निर्देशन पत्र दाखिल करने का समय समाप्त हो जाने के पश्चात् रजिस्टर में अन्तिम नाम–निर्देशन पत्र की प्रविष्टि के नीचे एक पड़ी रेखा खींचेगा, उसके नीचे शब्द (नाम–निर्देशन समाप्त) लिखेगा और दिनांक और समय सहित अपन हस्ताक्षर करेगा। नाम–निर्देशन की एक सूची, समय समाप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र, समिति के सूचना पट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(6) निर्वाचन अधिकारी नाम–निर्देशन पत्रों की परिनिरीक्षा का कार्य विर्निदिष्ट दिनांक को वर्णमाला क्रम में करेगा और उम्मीदवार/उसका प्रस्तावक या अनुमोदक परिनिरीक्षा के समय उपस्थित रह सकता है।

(7) नाम–निर्देशन की परिनिरीक्षा करते समय निर्वाचन अधिकारी–

(क) नाम–निर्देशन पत्रों में नाम या संख्या के सम्बन्ध में किसी लिपिकीय भूल को मतदाता सूची में समानुवर्ती प्रविष्टियों के अनुरूप करने के लिए अनुज्ञा दे सकता है;

(ख) जहां आवश्यक हो, वहां यह निर्देश दे सकता है कि उक्त प्रविष्टियों में किसी मुद्रण सम्बन्धी त्रुटि पर ध्यान न दिया जाय।

(8) परिनिरीक्षा के समय, निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक नाम–निर्देशन पत्र पर उसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने के सम्बन्ध में विनिश्चय पृष्ठांकित करेगा। अस्वीकार किये जाने की स्थिति में, वह ऐसे अस्वीकरण के लिए अपने कारणों का एक संक्षिप्त विवरण अभिलिखित करेगा। जिस उम्मीदवार का नाम निर्देशन अस्वीकार किया जाय, वह 10 रूपये की फीस निर्वाचन अधिकारी के पास नकद जमा कर, अस्वीकरण आदेश की एक प्रति प्राप्त कर सकता है।

(9) नाम–निर्देशन वापस लेने के लिए आवेदन पत्र नियत प्रपत्र में केवल सम्बद्ध उम्मीदवार द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्वाचन अधिकारी को दिया जायेगा।

(10) जहां निर्वाचित अधिकारी नाम–निर्देशन वापस लेने के पश्चात् नाम–निर्देशन को अन्तिम रूप दे दे, वहां पर आयोग द्वारा अनुमोदित चिन्हों की सूची से एक चिन्ह/चिन्हों के उसी क्रम में जिस क्रम में वह अनुमोदित सूची में इंगित किया गया है, प्रत्येक विधिमान्य नाम–निर्देशन के लिए आवंटित करेगा और यदि विधिमान्य नाम–निर्देशन की संख्या आयोग द्वारा अनुमोदित चिन्हों की संख्या से अधिक हो तो निर्वाचन अधिकारी कोई अन्य चिन्ह आवंटित कर सकता है, जो आयोग द्वारा अनुमोदित चिन्हों से भिन्न, किन्तु उससे साम्य रखता हो। इस प्रकार आवंटित चिन्ह सम्बद्ध उम्मीदवार के लिए बन्धनकारी होगा।

(11)अन्तिम नाम–निर्देशनों की सूची, जिसमें उम्मीदवारों के नाम, पिता का नाम उनके अपने–अपने चिन्ह और नाम–निर्देशन पत्रों में दिये गये पतों सहित हिन्दी वर्णमाला क्रम में दिये गये होंगे, निर्धारित कार्यक्रम पर नियम 36 में विहित रीति से प्रदर्शित की जायेगी।

41–प्रत्येक मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होगा और प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी या कोई व्यक्ति जिसे मतदान कराने के लिए या मतपत्रों की गणना के लिए नियुक्त किया गया हो, ऐसी कोई सूचना किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को जो इसे प्राप्त करने के लिए विधिक रूप से अधिकृत न हो, नहीं देगा या ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा, जिससे मतदान की गोपनीयता प्रभावित होती हो।

42–कोई व्यक्ति जो निर्वाचन अधिकारी है, या निर्वाचन कराने के लिए नियुक्त किया गया है या किसी समिति का कोई अधिकारी या कोई पुलिस अधिकारी, जिसे निर्वाचन के संचालन में सहायता करने के लिए नियुक्त किया गया है, निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा, या किसी मतदाता या अभ्यर्थी को इस प्रकार प्रभावित नही करेगा, जिससे किसी उम्मीदवार के निर्वाचन में सफल होने की सम्भावना में वृद्धि या ह्रास होता हो।

43–(1) जहां विधिमान्य नाम–निर्देशनों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या के बराबर या अधिक न हो, वहां निर्वाचन अधिकारी, नाम वापसी के पश्चात् तत्काल उसी दिनांक को उन्हे सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगाः

(2) जहां विधिमान्य नाम–निर्देशनों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या से अधिक हो, वह निर्वाचन अधिकारी नियत् समय एवं दिनांक को मतदान कराने का प्रबन्ध करेगा।

(3) प्रत्येक मतदाता को एक शलाका पत्र दिया जायेगा, जो आयोग के द्वारा मुद्रित होगा, जिसपर हिन्दी वर्णानुक्रम के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को आवंटित चुनाव

चिन्ह मुद्रित होगा। इसमें एक खाली स्तम्भ मतदाता द्वारा उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों के नाम के सामने, जिन्हें वह मतदान करना चाहे, एक चिन्ह (X)अंकित करने के लिए भी होगा।

(4) शलाका–पत्र क्रमांकित होंगे और उन पर समिति की मोहर और सम्बद्ध मतदान केन्द्र के निर्वाचन अधिकारी/मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर भी होंगे।

(5) मतदान गुप्त शलाका पत्र द्वारा होगा। मतदाता उस उम्मीदवार के नाम के सामने, जिसे वह मतदान करना चाहता है, एक क्रास का चिन्ह (X)लगायेगा और तद्उपरान्त शलाका पत्र को गुप्त रूप में शलाका पेटी में डान देगा।

(6) प्रत्येक मतदाता के उतने मत होंगे, जितने व्यक्तियों का निर्वाचन किया जाना है किन्तु कोई मतदाता किसी एक उम्मीदवार को एक से अधिक मत नही देगा।

(7) निर्वाचन लड़ने वाला कोई उम्मीदवार या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता शलाका पत्र जारी किये जान के पूर्व निर्वाचन अधिकारी को प्रत्येक आपत्ति के लिए दस रूपये की फीस देकर मतदाता के अभिज्ञान के सम्बन्ध में आपत्ति कर सकता है।

(8) निर्वाचन अधिकारी आपत्ति की संक्षिप्ततः जाँच करेगा और यदि ऐसी जाँच के पश्चात् उसकी यह राय हो कि आपत्ति प्रमाणित नही होती है, तो वह आपत्तिकृत व्यक्ति को शलाका पत्र देगा जिसके पृष्ठ पर निर्वाचन अधिकारी अपनी हस्तलिपि में शब्द ''आपत्तिकृत मत''पृष्ठांकित करेगा और हस्ताक्षर करेगा।

(9) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, उपनियम (3) के अधीन शलाका पत्र दिये जाने के पूर्व विनिर्दिष्ट प्रपत्र में एक सूची में अपने से सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने अपना हस्ताक्षर करेगा या यदि निरक्षर हो तो वह अपने अंगूठे का निशान लगायेगा।

(10) उपनियम (8) के अधीन शलाका पत्र प्राप्त होने पर सम्बद्ध व्यक्ति शलाका पत्र पर उस उम्मीदवार के नाम के सामने, जिसे वह मत देना चाहता है, गुप्त रूप से क्रास का चिन्ह (X)लगाकर अपना मत अभिलिखित करेगा और शालाका पत्र निर्वाचन अधिकारी को देगा जो उसे तुरन्त इस प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से रखे गए लिफाफे में रखेगा।

(11) यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो स्वयं को मतदाता सूची में दिये गये किसी विशिष्ट मतदाता रूप में बताये, ऐसे मतदाता के रूप में, दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले से ही मत देने के पश्चात्, शलाका पत्र के लिए आवेदन करता है, तो उसे निर्वाचन अधिकारी को अपने पहचान के सम्बद्ध में समाधान करने के पश्चात् एक शलाका पत्र दिया जायेगा, जिसके पृष्ठ भाग पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपनी हस्तलिपि में शब्द ''निविदत्त शलाका पत्र'' पृष्ठांकित किया जायेगा और हस्ताक्षर किया जायेगा।

(12) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, निविदत्त शालाका पत्र दिए जाने के पूर्व विनिर्दिष्ट प्रपत्र में एक सूची में अपने से सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने अपना हस्ताक्षर करेगा या यदि वह निरक्षर हो तो वह अपने अंगूठे का निशान लगायेगा।

(13) उपनियम 11 के अधीन शलाका पत्र प्राप्त होने पर वह व्यक्ति शलाका पत्र पर उस उम्मीदवार के नाम के सामने, जिसे वह मत देना चाहता है, गुप्त रूप से क्रास का चिन्ह (X)लगाकर अपना मत अभिलिखित करेगा और निविदत्त शलाका पत्र निर्वाचन अधिकारी को देगा जो उसे तुरन्त इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गए लिफाफे में रखेगा।

(14) मतदान करने वाले मतदाता को अपने मत को प्रयोग किये जाने के पूर्व आयोग द्वारा निर्दिष्ट पहचान पत्रों में से किसी एक पहचान पत्र से निर्वाचन अधिकारी को अपने पहचान के सम्बन्ध में सन्तुष्ट किया जाना अनिवार्य होगा।

(15) यदि हस्ताक्षरित मतपत्र बच जाता है तो उसे एक अलग लिफाफे में रखा जायेगा और मतदान के पश्चात् निर्धारित प्रारूप पर प्रयोग किये गये मतपत्र, हस्ताक्षरित शेष मतपत्र, शेष सादे मतपत्र आदि की सूचना भरकर लिफाफे में रखा जायेगा।

(16) निर्वाचन अधिकारी द्वारा डायरी शान्तिपूर्ण ढंग से निर्वाचन सम्पन्न होने की स्थिति में टिप्पणी अंकित करते हुए डायरी को अलग लिफाफे में अलग रखा जायेगा। उक्त डायरी को निर्वाचन परिणाम घोषित होने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेखों के साथ सुरक्षित अभिरक्षा में निर्धारित अवधि तक रखा जायेगा।

44–(1)(क) मतदान समाप्त होने के पश्चात् तुरन्त मतों की गणना की जायेगी और यदि मतदान समाप्त होने के पश्चात् तुरन्त मतगणना करना सम्भव न हो तो, मत पेटियाँ निर्वाचन अधिकारी द्वारा मोहर बन्द कर दी जायेगी और निकटस्थ पुलिस थाने में निरापद अभिरक्षा में रखी जायेगी। उम्मीदवार या उसका अभिकर्ता भी अपनी मोहर, यदि ऐसा चाहे, लगा सकता है।

(ख)निविदत्त मत एवं आपत्तिकृत मत की गणना उन्हीं परिस्थितियों में की जायेगी जब कुल पड़े मतों से परिणाम घोषित किया जाना सम्भव न हो अर्थात् किन्ही दो या अधिक उम्मीदवारों के मतो की संख्या बराबर हो जाये।

(2) कोई शलाका–पत्र अस्वीकार कर दिया जायेगा, यदि–

(1) उस पर मतदाता की पहचान के लिए कोई हस्ताक्षर हो,

(2) उस समिति की मोहर और सम्बद्ध मतदान केन्द्र के निर्वाचन अधिकारी/मतदान अधिकारी का हस्ताक्षर न हो,

(3) उस पर मतदान इंगित करने का कोई चिन्ह न हो,

(4) उस पर भरे जाने वाले स्थान/स्थानों की संख्या से अधिक चिन्ह हो,

(3) यदि किसी शलाका–पत्र पद उम्मीदवार या उम्मीदवारों के लिए चिन्ह इस प्रकार हो जिससे यह स्पष्ट न हो कि किन उम्मीदवारों को मत दिया गया है तो उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा।

(4) निर्वाचन–अधिकारी, गणना पूरी हो जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतो की संख्या बताते हुए निर्वाचन परिणाम की घोषणा करेगा।

(5) बराबर–बराबर मत होने की स्थिति में मामले का विनिश्चय पर्चा डालकर किया जायेगा।

स्पष्टीकरण–निर्वाचन अधिकारी द्वारा समान रंग एवं आकार की पर्ची पर उम्मीदवारों के नाम लिखकर तथा पर्ची को इस प्रकार मोड़कर की उम्मीदवार का नाम पढ़ा न जा सके, शलाका पत्र पेटी में डालेगा और उम्मीदवार से भिन्ना किसी अन्य व्यक्ति से पेटी से एक पर्ची निकलवायेगा। उस पर्ची पर अंकित नाम वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाएगा।

(6) निवार्चन–अधिकारी, निर्वाचित उम्मीदवारों की सूची समिति के सूचना पट्ट पर और ऐसे सार्वजनिक स्थान पर भी जहां वह उचित समझे, प्रदर्शित करेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, लखनऊ की शाखाओं या ऐसी समितियों की स्थिति में जिनका कार्यक्षेत्र एक से अधिक जिले में हो, सूची का प्रदर्शन ऐसी सहकारी समिति के शाखा कार्यालय या उप कार्यालय में किया जायेगा।

(7) उपनियम (6) के अधीन तैयार की गई सूची की एक प्रतिलिपि जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी, आयोग या सम्बन्धित सहकारी समिति के सचिव/प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को भेजी जायेगी।

(8) निर्वाचन सम्बन्धी प्रयुक्त शलाका पत्र और अन्य अभिलेख किसी लिफाफे या आधान (कन्टेनर) में रखे जायेंगे और निर्वाचन अधिकारी/मतदान अधिकारी उन्हें समिति के सचिव/प्रबन्ध निदेशक को भेज देगा, जो उसकी प्राप्ति स्वीकार करेगा और यदि निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई विवाद जिला मजिस्ट्रेट अथवा आयोग को निर्दिष्ट न किया जाय तो दो माह तक उसकी अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगाः

प्रतिबन्ध यह है कि किसी निर्वाचन वाद अथवा किसी न्यायालय में निर्वाचन याचिका के लम्बित न रहने की स्थिति में समिति के सचिव या प्रबन्ध निदेशक, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा एक वर्ष व्यतीत हो जाने पर उस नष्ट कर दिया जायेगा।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि सचिव या प्रबन्ध निदेशक, जैसी भी स्थिति हो, का यह उत्तरदायित्व होगा कि अभिलेखों को नष्ट किये जाने के पूर्व आयोग द्वारा विहित प्रारूप पर उसका संक्षिप्त विवरण अंकित करे और उसे सहकारी समिति में रखा जायेगा।

(9) विशेष परिस्थितियों एवं अपरिहार्य कारणों में आयोग जनपद की सभी अथवा किसी वर्ग या वर्गो या किसी विशिष्ट समिति की मत गणना अन्य स्थान पर कराने के निर्देश दे सकता है और ऐसी मतगणना आयोग द्वारा यथा नियत दिनांक को ही करायी जाएगी।

अध्याय–5

सभापति/उपसभापति एवं अन्य समितियों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन

Š **45–(1) सम्बन्धित सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पश्चात् सभापति/उपसभापति एवं अन्य समितियों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन, विनिर्दिष्ट अनुदेशों और विनिर्दिष्ट दिनांक के अधीन कराया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसा ऊपर उल्लिखित नियमों में उपबन्धित की गयी है।**

(2) सभापति एवं उपसभापति, प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों में से निर्वाचित किये जायेंगे।

(3) प्रबन्ध कमेटी के सदस्य अन्य सहकारी समिति के, जिसकी वह सहकारी समिति सदस्य हो, सामान्य निकाय में सहकारी समिति का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन सामान्य निकाय के अर्ह सदस्यों में से करेंगे।

कार्यकालः–

46–(1) प्रत्येक सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का कार्य काल 5 वर्ष होगा, जिसकी गणना उसके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जायेगी।

स्पष्टीकरण–प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व किसी सहकारी समिति का निर्वाचन होने की दशा में नवनिर्वाचित प्रबन्ध कमेटी का कार्यभार निवर्तमान प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् प्रबन्ध कमेटी का निर्वाचन होने की स्थिति में प्रबन्ध कमेटी का निर्वाचन परिणाम घोषित होने के दिवस से कार्यकाल की गणना होगी।

(2) सभापति/उपसभापति का कार्यकाल प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल के सहविस्तारी होगा।

(3) सहयोजित सदस्य का कार्यकाल प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल के सहविस्तारी होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल उसके मौलिक कार्यकाल के आधे से कम हो तो प्रबन्ध कमेटी में हुई किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उस सहकारी समिति के अर्ह सदस्यों में से जिसमें आकस्मिक रिक्ति हुई है, प्रबन्ध कमेटी द्वारा नाम–निर्देशन द्वारा की जा सकती है।

Š शासनादेश संख्या–662/49–01–2017–8(56)–13 टीसी–1,लखनऊ, 26मई, 2017

अध्याय–6

अनर्हता

47–(1) कोई भी व्यक्ति किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का सदस्य होने या बने रहने का पात्र न होगा, यदि–

(क) उसकी आयु 21 वर्ष से कम हो;

(ख) वह दिवालिया घोषित हो;

(ग) वह विकृत चित्त का हो;

(घ) उसे, आयोग की राय में नैतिक पतन से सम्बन्धित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और ऐसी दोष सिद्धि अपील में रद्द न की गयी हों;

(ङ) वह यह आयोग की राय में, उसके परिवार का कोई सदस्य निबन्धक की अनुज्ञा के बिना, सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र के भीतर उसी प्रकार का कारोबार करना शुरू करे या करता हो, जैसा सहकारी समिति द्वारा स्वयं किया जा रहा हो;

(च) वह अधिनियम या सहकारी समिति की उपविधियों के उपबन्धों के प्रतिकूल सहकारी समिति के साथ कोई व्यवहार या संविदा करे;

(छ) वह सहकारी समिति के अधीन या किसी अन्य सहकारी समिति जो ऐसी समिति से सम्बद्ध हो, के अधीन या कोई लाभ का पद स्वीकार करे या धारण करता हो;

प्रतिबन्ध यह है कि, यह प्रतिबन्ध ऐसे उत्पादकों या कर्मकारों की समितियों पर लागू नहीं होगा, जिनको राज्य सरकार ने अनुज्ञा दे दी हो कि वे अपनी उपविधियों में कर्मचारियों द्वारा सहकारी समिति के प्रबन्ध में भाग लेने की व्यवस्था कर सकते है;

(ज) वह सहकारी समिति के सामान्य निकाय का सदस्य न हो;

प्रतिबन्ध यह है कि, इस खण्ड के उपबन्ध अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (6) एवं (8) के अन्तर्गत आने वाले वृत्तिक व्यक्तियों के सहयोजन पर लागू न होंगे;

(झ) वह अधिनियम या नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया गया हो, जब तक कि दोष सिद्धि के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि व्यतीत न हो गयी हो;

(ञ) वह ऐसा व्यक्ति हो, जिसके विरूद्ध किसी सहकारी समिति के अधिनियम की धारा 91 के अधीन आदेश प्राप्त कर लिया हो और उस आदेश की पूर्ति न हुई हो;

(ट) वह अपने द्वारा लिये गये ऋणों के सम्बन्ध में सहकारी समिति का (कम से कम 6 मास की अवधि से) बाकीदार हो, या वह सहकारी समिति का अधि–निर्णीत ऋणी हो;

(ठ) वह एक ही समय में तीन सहकारी समितियों अर्थात् एक प्राथमिक एक केन्द्रीय और एक शीर्ष सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का पहले से ही सदस्य हो, फिर भी वह तीन से अधिक सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने के लिए हकदार होगा। ऊपर विनिर्दिष्ट तीन से अधिक समितियों की प्रबन्ध कमेटी में उसके निर्वाचित होने की दशा में उसे एक माह के भीतर ऐसी समिति या समितियों की प्रबन्ध कमेटी से त्यागपत्र देना पड़ेगा ताकि वह तीन से अधिक समितियों की प्रबन्ध कमेटी का सदस्य न बना रह सके। यदि वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर त्यागपत्र देने में विफल रहता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति पर यह समझा जायेगा कि उसने एक शीर्ष सहकारी समिति और एक केन्दीय सहाकरी समिति और एक प्राथमिक सहकारी समिति, जिस पर वह बाद में निर्वाचित हुआ है, के सिवाय समस्त सहकारी समिति से त्यागपत्र दे दिया है;

(ड) वह राजकीय सेवा या किसी सहकारी समिति की सेवा या निगमित निकाय से कपट, दुराचरण या अशुचिता करने के लिए पदच्युत किया गया हो और पदच्युति का ऐसा आदेश अपील में रद्द न किया गया हो;

(ढ़) वह ऐसी किसी सहकारी समिति के निबन्धन के प्रार्थनापत्र में सम्मिलित हो या उसकी प्रबन्ध कमेटी का सदस्य रहा हो, जो निबन्धक द्वारा धारा 72 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन इस आधार पर समापित कर दी गयी हो कि सहकारी समिति का, निबन्धन कपटपूर्वक कराया गया था और निबन्धक का ऐसा आदेश अपील में उत्क्रमित न किया गया हो;

(ण) वह अधिनियम या नियम या सहकारी समिति की उपविधियों के किसी उपबन्ध के अधीन अन्यथा अनर्ह हो;

(त) यदि वह किसी गैर ऋण सहकारी समिति, जो केन्द्रीय सहकारी बैंक अथवा उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक का प्रतिनिधि है और वह सहकारी समिति 90 दिनों से अधिक की बकायेदार है;

(थ) यदि वह प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति में केवल जमा करने के उद्देश्य से सदस्य बना हो और उसके द्वारा ऐसी समिति में जमा धनराशि एक हजार रूपये से कम हो गयी हो;

(द) आयोग की राय में किसी व्यक्ति द्वारा निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण अथवा जानबूझ कर कोई कपटपूर्ण कृत्य अथवा कूट रचित अभिलेख के आधार पर निर्वाचन में भाग लिया गया हो, जिसके प्रभाव में उसकी उम्मीदवारी एवं उसके परिणाम पर प्रभाव पड़ा हो;

(ध) यदि उसे किसी अपराध के लिए किसी न्यायालय से दो वर्ष से अधिक का कारावास हुआ हो और जिसके विरूद्ध कोई स्थगनादेश प्राप्त न किया गया हो या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा आदेश को अपास्त न किया गया हो;

Š**(न) वह किसी सहकारी बैंक का पूर्व कार्मिक हो,**

प्रतिबन्ध यह है कि यह खण्ड, खण्ड (प) में उल्लिखित 16 जिला सहकारी बैंकों की प्रबन्ध कमेटी के सम्बन्ध में लागू होगा,

(प) यह लाइसेन्स हेतु वित्तीय सहायता/अनुदान/अंशपूँजी/ऋण प्राप्त निम्नलिखित 16 जिला सहकारी बैंक की प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचन के पूर्ववर्ती 10 वर्ष पूर्व तक की अवधि में बैंक की प्रबन्ध कमेटी का सदस्य रहा होः–

जिला सहकारी बैंक लि0, देवरिया, बहराइच, सिद्वार्थनगर, सुल्तानपुर, जौनपुर, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, हरदोई, फतेहपुर, सीतापुर, वाराणसी, इलाहाबाद, गाजीपुर एवं फैजाबाद।

Š शासनादेश संख्या–859/49–01–2016–8(56)–13 टीसी–1,लखनऊ, 31मई, 2016

(2) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का कोई सदस्य, जो प्रबन्ध कमेटी की तीन लगातार बैठकों में बिना किसी उचित कारण के अनुपस्थित रहे, प्रबन्ध कमेटी का सदस्य बने रहने का हकदार न होगा।

(3) उपनियम (2) के उपबन्ध किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी के नाम–निर्दिष्ट या पदेन सदस्य पर लागू नहीं होगें;

(4) कोई व्यक्ति जो किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता के लिए निर्वाचन लड़े किन्तु ऐसे निर्वाचन में हार जाय, आमेलन या नाम–निर्देशन द्वारा प्रबन्ध कमेटी का सदस्य होने के लिए पात्र न होगा।

(5) उपनियम (1) के अधीन निर्धारित अनर्हताएं निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू होंगी;

(क)खण्ड ज में निर्धारित अनर्हताएं प्रबन्ध कमेटी के किसी नाम–निर्दिष्ट या पदेन सदस्य या प्रबन्ध कमेटी के ऐसे सहयोजित सदस्य पर लागू न होंगी जिसके सहयोजन हेतु सहकारी समिति की उपविधियों के अधीन सामान्य निकाय की सदस्यता कोई शर्त नहीं थी;

(ख)उपनियम (1) के खण्ड (घ) या खण्ड (ड) में निर्धारित अनर्हता दोष सिद्धि के अधीन, अर्थदण्ड देने या दोष सिद्ध होने पर दण्ड पा लेने के या पदच्युति के आदेश के बाद, जैसी भी स्थिति हो, 5 वर्ष की समाप्ति के पश्चात् समाप्त हो जायेगी;

(ग) उपनियम (1) के खण्ड (ख) में दी गयी हुई अनर्हता किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी पर लागू न होगी, जिसको धारा 34 के अन्तर्गत किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी में नामांकित किया गया हो;

(घ) कारागार के बन्दियों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए जेल में बनी सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के सम्बन्ध में नियम 47 के उपनियम (1) का उपखण्ड (क), (छ), (झ), (ड), व (ध) लागू नहीं होंगे;

48–किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का यह कर्तव्य होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भी प्रकार अनर्ह हो जाय, प्रबन्ध कमेटी का सदस्य का पद धारण न किये रहे। ज्यों ही यह तथ्य प्रबन्ध कमेटी की जानकारी में आये, कि कोई सदस्य किसी प्रकार अनर्ह हो गया है, चाहे वह ऐसे सदस्य के पूर्व या उसके पश्चात् अनर्ह हुआ हो, कमेटी इस विषय पर एक बैठक में विचार करेगी, जो इस प्रयोजन के लिए बुलाई जायेगी। ऐसी बैठक की कार्यसूची की एक प्रति उस सदस्य को, जिसके विरूद्ध कार्रवाई करने का प्रस्ताव हो, व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्री डाक द्वारा (प्राप्त अभिस्वीकृति) दी जायेगी। यदि सम्बन्धित

व्यक्ति को ऐसी अनर्हता के कारण कमेटी की सदस्यता से हटाने का संकल्प पारित हो जाये तो ऐसे संकल्प की एक प्रति भी सम्बन्धित व्यक्ति को रजिस्ट्री डाक द्वारा (प्राप्त अभिस्वीकृति) भेजी जायेगी और तद्उपरान्त ऐसे सदस्य को किसी अन्य प्रकार से प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के रूप में प्रबन्ध कमेटी की किसी बैठक में कार्य करने या उपस्थिति होने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी। ऐसे सदस्य का पद रिक्त घोषित किया जायेगा। यदि वह व्यक्ति ऐसी कार्यवाही से क्षुब्ध हो तो वह नोटिस प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन पंचनिर्णय करा सकता है।

49–(1) यदि किसी सदस्य या सदस्यों की अर्नहता सम्बन्ध में संज्ञान में आने पर प्रबन्ध कमेटी द्वारा यथा–नियत् कार्यवाही युक्तिसंगत समय पर नहीं की जाती है, तो आयोग को यह अधिकार होगा कि अधिनियम की धारा (38) के अधीन ऐसे अनर्ह सदस्य या सदस्यों की प्रबन्ध समिति से निकाले जाने के लिए निबन्धक अथवा प्राधिकृत अधिकारी को निर्देशित कर सकता है।

(2) आयोग ऐसे निर्देशन के पश्चात् निबन्धक अथवा प्राधिकृत अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि धारा 38 में विहित प्रक्रिया का पालन करने के लिए यथा आवश्यक कार्यवाही करेगा।

अध्याय–7
निर्वाचन वाद

50–(1) किसी सहकारी समिति के किसी पदाधिकारी या प्रतिनिधि के निर्वाचनसे क्षुब्ध पक्षकारों द्वारा अधिनियम की धारा 70 के अधीन निर्वाचन वाद प्रस्तुत किया जा सकता है–जो निम्नानुसार अभिदिष्ट किया जायेगा–

(क) प्रारम्भिक एवं केन्द्रीय/जनपद स्तरीय समितियों की दशा में सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट को जो प्रारम्भिक सहाकरी समिति की दशा में विवाद का निर्णय स्वयं कर सकता है अथवा अपने अधीन परगनाधिकारियों में से किसी एक को, यथास्थिति, मध्यस्थ अथवा मध्यस्थ मण्डल के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है और केन्द्रीय सहकारी समितियों की दशा में जिला मजिस्ट्रेट विवाद का निर्णय स्वयं कर सकता है अथवा अपने अधीन अपर जिलाधिकारी में से किसी एक को, यथास्थिति, मध्यस्थ अथवा मध्यस्थ मण्डल के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है।

(ख) किसी राज्य स्तरीय/शीर्ष सहकारी समिति की दशा में आयोग को किया जायेगा, जो विवाद का निर्णय स्वयं अथवा किसी निर्वाचन आयुक्त को मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है।

(2) किसी सहकारी समिति के निर्वाचन के सम्बन्ध में सिवाय निम्नलिखित आधार के मध्यस्थ द्वारा या अन्यथा रूप से आपत्ति नहीं की जा सकेगी–

(क) निर्वाचन में भ्रष्टाचार, रिश्वत् या अनुचित प्रभाव का प्रयोग होने के कारण वह निर्वाचन निष्पक्ष नहीं हुआ है,या

(ख) निर्वाचन के परिणाम पर निम्नलिखित कारणों से सारवान् प्रभाव पड़ा होः–

(1) किसी नाम–निर्देशन पत्र को अनुचित रूप से स्वीकार करने, या अस्वीकार करने के द्वारा, या

(2) मत को अनुचित रूप से ग्रहण करने या ग्रहण करने से इन्कार करने या रद्द करने के द्वारा, या

(3) अधिनियम या नियमावली या समिति की उपविधियों के उपबन्धों का अनुपालन करने में घोर चूक करने के द्वारा।

स्पष्टीकरणः—इस नियम के प्रयोजनार्थ भ्रष्टाचार, रिश्वत् या अनुचित प्रभाव के वही अर्थ होगे, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के अधीन प्रत्येक के लिए दिये गये हैं।

(4) निर्वाचन से सम्बधित कोई भी वाद निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 45 दिन के भीतर व्यथित पक्ष द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकेगा।

(5) नियमावली में किसी अन्य बात के होते हुए भी निर्वाचन वाद दाखिल करने वाले वादी द्वारा राज्य सरकार द्वारा नियत् किये गये लेखा शीर्षक में निम्नवत् शुल्क जमा कर मूल रसीद वाद के साथ संलग्न कर प्रस्तुत की जायेगीः—

क— प्रारम्भिक सहकारी सहकारी समितियों की स्थिति में—रू0 एक हजार
ख— जनपद/केन्द्रीय सहकारी समितियों की स्थिति में—रू0 दो हजार
ग— राज्य स्तरीय/शीर्ष सहकारी समिति की स्थिति में—रू0 पांच हजार

प्रतिबन्ध यह है कि शुल्क की रसीद प्रस्तुत न किये जाने पर वाद स्वीकार नहीं किया जायेगा।

अध्याय—8
अपराध एवं शास्तियां

51—सहकारी समिति की निर्वाचित प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व सचिव अथवा प्रबन्ध निदेषक जैसी भी स्थिति हो के द्वारा अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (4) एवं नियम 4 के अधीन निर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना न दिये जाने अथवा निर्वाचन क्षेत्रों के अवधारण हेतु जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी अथवा मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी अथवा आयोग अथवा उसके प्राधिकृत अधिकारी को अपेक्षित समस्त सूचनाएं न दिये जाने पर, आयोग द्वारा प्रारम्भिक सहकारी समिति की स्थिति में सम्बन्धित सचिव या प्रबन्ध निदेषक, जैसी भी स्थिति हो के विरूद्ध रू0 पांच हजार तक का अर्थदण्ड लगाया जा सकता है तथा जिला/केन्द्रीय एवं राज्य स्तरीय/षीर्ष सहकारी समिति की स्थिति में सम्बन्धित सचिव या प्रबन्ध निदेषक, जैसी भी स्थिति हो, के विरूद्ध रू0 दस हजार तक का अर्थदण्ड लगाया जा सकता है और अर्थदण्ड लगाये जाने सम्बन्धित आदेष सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी की चरित्र पंजिका में अंकित करते हुए चस्पा की जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि अर्थदण्ड लगाये जाने के पूर्व समबन्धित व्यक्ति को सुनवाई एवं अपना पक्ष रखे जाने का युक्तिसंगत एक अवसर आयोग द्वारा प्रदान किया जायेगा।

52—जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोग को निर्धारित समयावधि के भीतर जनपद की ऐसी सहकारी समितियों जिनकी प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल आगामी 4 मास में समाप्त हो रहा है, की सूचना न दिये जाने अथवा आयोग द्वारा किसी समिति या समितियों के किसी वर्ग या वर्गों की सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु दिनांक नियत् किये जाने पर निर्धारित समयावधि के भीतर क्षेत्र अवधारण की कार्रवाई न किये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध आयोग द्वारा रू0 पांच हजार तक का

अर्थदण्ड लगाया जा सकता है और अर्थदण्ड लगाये जाने सम्बन्धित आदेष सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में अंकित करते हुए चस्पा की जायेगीः

प्रतिबन्ध यह है कि, अन्य विभाग से सम्बन्धित सहकारी समितियों के निर्वाचन से सम्बन्धित अपेक्षित सूचना एवं अभिलेख जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी को सम्बन्धित विभाग के जनपद स्तरीय अथवा अपने विभाग की सहकारी समितियों को पंजीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा यथासमय उपलब्ध न कराये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी रू0 पांच हजार के अर्थदण्ड का दायी होगा और अर्थदण्ड लगाये जाने सम्बन्धी आदेष सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में अंकित करते हुए चस्पा की जायेगीः

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि अर्थदण्ड लगाये जाने के पूर्व सम्बन्धित अधिकारी को सुनवाई एवं अपना पक्ष रखे जाने का युक्तिसंगत एक अवसर आयोग द्वारा प्रदान किया जायेगाः

अग्रतर यह भी प्रतिबन्ध है कि अर्थदण्ड लगाये जाने के पष्चात् भी यदि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों में लगातार चूक की जाती है तो ऐसे अधिकारी के विरूद्ध आयोग द्वारा सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को अनुषासनात्मक कार्रवाई किये जाने की अनुषंसा की जा सकती है और नियुक्ति प्राधिकारी के लिए आयोग की अनुषंसा पर कार्रवाई किया जाना बाध्यकारी होगा।

53–जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी तथा अन्य नियुक्ति अधिकारियों द्वारा अपरिहार्य कारणों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का पालन न किया जाना अपराध समझा जायेगा, जिसके दोष सिद्ध होने पर जुर्माने के रूप में जो रू0 दो हजार तक का हो सकता है, या कारावास से जो छः मास तक हो सकता है अथवा दोनों दण्ड से दण्डनीय होगा।

54–नियम–41 के उल्लंघन में किया गया कोई कृत्य या दी गयी या प्रकट की गयी सूचना को अपराध समझा जायेगा और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों, जिनके विरूद्ध ऐसा अपराध सिद्ध हो जाय, कारावास से, जो छः मास तक हो सकता है, या जुर्माने से जो रू0 दो हजार तक हो सकता है या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

55–नियम–42 के उल्लंघन में किये गये किसी कृत्य के सिद्ध पाये जाने पर आयोग सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध न्यूनतम रू0 दो हजार और अधिकतम रू0 दस हजार का अर्थदण्ड अथवा उसकी चरित्र पंजिका में इस आषय की प्रतिकूल प्रविष्टि किये जाने की अनुषंसा कर सकता है।

56–किसी सहकारी समिति का निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा कपटपूर्ण ढंग से कोई तथ्य प्रस्तुत किये जाने, निर्वाचन सम्बन्धी किसी अभिलेख को विकृत करने या उसमें परिवर्तन करने या उसको नष्ट करता है अथवा ऐसा किये जाने के लिए किसी को अभिप्रेरित करता है, ऐसा कृत्य अपराध समझा जायेगा और दोष सिद्ध होने पर दो वर्ष से अनधिक के कारावास या रू0 पांच हजार के अर्थदण्ड या दोनों से दण्डनीय होगा।

57–इन नियमों में उल्लिखित किसी अपराध के किये जाने पर, सम्बन्धित व्यक्ति विषेष प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा करायी जायेगी।

58–सहकारी समिति के निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि समिति के निर्वाचन कराये जाने में उम्मीदवारों अथवा किसी अन्य मद में प्राप्त धनराषि आयोग द्वारा नियत् कोष अथवा नियत् प्राधिकारी को निर्वाचन समाप्ति के एक सप्ताह के

भीतर हस्तगत करेगा और ऐसा न किये जाने पर आयोग द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध अनुषासनात्मक कार्रवाई किये जाने की अनुषंसा अथवा जुर्माना जो रू0 पांच हजार तक हो सकता है, का अर्थदण्ड अथवा दोनों कर सकता है।

59—यदि आयोग की राय में, किसी उम्मीदवार द्वारा निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण जानबूझकर कोई कपटपूर्ण कृत्य अथवा कूटरचित अभिलेख के आधार पर निर्वाचन में भाग लिया गया है, जिसके प्रभाव से उसकी उम्मीदवारी एवं उसके परिणाम पर सारवान् प्रभाव पड़ा है तो आयोग ऐसे व्यक्ति विषेष/निर्वाचित सदस्य को अनर्ह घोषित कर सकता है तथा भविष्य में निर्वाचन में भाग लेने हेतु कम से कम 3 वर्ष एवं अधिकतम 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है।

60—क—यदि कोई व्यक्ति, आयोग द्वारा उस पर आरोपित अर्थदण्ड को विर्निदिष्ट अवधि के भीतर जमा करने में विफल रहता है तो सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि उक्त धनराषि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के वेतन से कटौती कर आयोग द्वारा निर्दिष्ट खाते में जमा कर आयोग को संसूचित करेगा।

अन्य व्यक्ति की दषा में जुर्माने की धनराषि भू—राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी।

ख—उक्त कर्तव्यों का अनुपालन न किये जाने पर आयोग, राज्य सरकार को सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई किये जाने की अनुषंसा कर सकता है।

अध्याय—9
विविध

61—(क)सहकारी समितियों के स्वतंत्र, स्वच्छ एवं निष्पक्ष निर्वाचन कराया जाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से आयोग जनपद/मण्डल/समिति या समितियों हेतु निर्वाचन पर्यवेक्षक नियुक्त कर सकता है।

(ख) सहकारी निर्वाचन पर्यवेक्षक के अधिकार एवं कर्तव्य के सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्गत दिशा—निर्देश बाध्यकारी होंगे।

62—सहकारी समिति के निर्वाचन हेतु नियुक्त किसी भी निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी, मतदान अधिकारी/गणना अधिकारी को यात्रा भत्ता उनके अपने मूल विभाग के बजट से देय होगा।

63—किसी सहकारी समिति के सचिव या प्रबन्ध निदेशक या सहकारी समितियों के किसी वर्ग या वर्गों के निर्वाचन कराये जाने हेतु किसी व्यक्ति विशेष, जिसे आयोग द्वारा अधिकृत किया गया हो, समुचित रीति से निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने में आवश्यकतानुसार, प्रशिक्षण एवं निर्वाचन सामग्री पर लघु व्यय किया जाता है, तो उस व्यय की प्रतिपूर्ती, जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी के अनुमोदन से की जायेगी।

64—क—किसी सहकारी समिति या किसी वर्ग या वर्गों की सहकारी समितियों के निर्वाचन कराने हेतु धनराशि का निर्धारण आयोग द्वारा, विशेष या सामान्य आदेश से अवधारित किया जायेगा और यह धनराशि उस सहकारी समिति, जिसका निर्वाचन किया जाना है, की निधि से देय होगी।

ख–सम्बन्धित सहकारी समिति का सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक, जैसी भी स्थिति हो, कर्तव्य होगा कि उक्त धनराशि आयोग द्वारा नियत् बैंक खाता में जमा करेगा और खण्ड (क) में अवधारित शुल्क जमा करने का प्रमाण–पत्र संलग्न करते हुये निर्वाचन कराने का अनुरोध करेगा,

प्रतिबन्ध यह है कि अवधारण शुल्क जमा न होने की स्थिति में सहकारी समिति का निर्वाचन नहीं कराया जायेगा और ऐसी स्थिति में निर्वाचन न हो पाने हेतु सम्बन्धित विभाग का सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होगा।

65–सहकारी समितियों के निर्वाचन नियत रीति एवं निष्पक्ष रूप से कराये जाने के उद्देश्य से आयोग द्वारा सहकारी निर्वाचन आचार संहिता प्रख्यापित की जा सकती है जो किसी सहकारी समिति या सहकारी समितियों के किसी वर्ग या वर्गों हेतु निर्वाचन दिनांक अधिसूचित होने की तिथि से आयोग द्वारा नियत किये गये व्यक्ति या व्यक्तियों या प्राधिकारी या प्राधिकारियों पर आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक प्रभावी रहेगी।

66–निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन से सम्बन्धित सभी अधिकारी/कर्मचारी आयोग के नियंत्रण, पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन के अधीन होंगे।

67–इस नियमावली में निर्वाचन से सम्बन्धित किसी प्राविधान के सम्बन्ध में संशय की स्थिति में आयोग का विनिश्चय अन्तिम होगा।

68–सहकारी समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में ऐसा कोई विषय जिसके सम्बन्ध में नियमों में कोई स्पष्ट प्राविधान उल्लिखित न हो तो ऐसे में आयोग के दिशा–निर्देश लागू होंगे।

69–यदि आयोग के संज्ञान में कोई ऐसा सन्दर्भ लाया जाता है, जो इस नियमावली के किसी प्राविधान/उपबन्ध से आच्छादित न हो तो ऐसे प्रकरण पर आयोग द्वारा यथोचित निर्णय लिया जायेगा, जो अन्तिम और बाध्यकारी होगा।

70–इस नियमावली के प्राविधानों के असंगत किसी सहकारी समिति की उपविधियों में किसी बात के होते हुये भी इस नियमावली के प्राविधान ही प्रभावी होंगे।

आज्ञा से,

देबाशीष पण्डा
प्रमुख सचिव।

Š शासनादेश संख्या–990/49–01–2017–8(56)–13टीसी–I लखनऊ, दिनांक 18.07.2017 द्वारा नियम संख्या–12 (क) में निम्न प्रकार संशोधन किया गया है एवं 12 (ख) निकाल दिया गया है।

Š 12–(क) समिति का सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक समय–समय पर आयोग द्वारा दिये गये निदेशों या तत्समय प्रवृत्त उपबन्धों के अनुसार समस्त मतदाताओं की सूची, जिनके नाम के सम्मुख अधिनियम, इस नियमावली अथवा उपविधियों में यथा वर्णित कोई अनर्हताएं, यदि कोई हो, उल्लिखित की जायेगी, तैयार करेगा और निर्वाचन के दिनांक के 45 दिन पूर्व सम्यक् रूप से नामांकित सदस्य, साधारण सदस्य या सहानुभूति सदस्य सम्मिलित किये जायेंगेः

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी समितियों, जो परिसमापनाधीन हो अथवा प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचन न होने के कारण निलम्बित/अधिक्रमित की गई हों, के प्रतिनिधि उक्त मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

Š शासनादेश संख्या–662/49–01–2017–8(56)–13 टीसी–1,लखनऊ दिनांक 26.05.2017नियम 45 (1) को निम्न प्रकार संशोधित करते हुये प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया गया है।

Š45–(1) सम्बन्धित सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पश्चात् सभापति/उपसभापति एवं अन्य समितियों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन, विनिर्दिष्ट अनुदेशों और विनिर्दिष्ट दिनांक के अधीन कराया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसा ऊपर उल्लिखित नियमों में उपबन्धित की गयी है।

(2) सभापति एवं उपसभापति, प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों में से निर्वाचित किये जायेंगे।

(3) प्रबन्ध कमेटी के सदस्य अन्य सहकारी समिति के, जिसकी वह सहकारी समिति सदस्य हो, सामान्य निकाय में सहकारी समिति का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन सामान्य निकाय के अर्ह सदस्यों में से करेंगे।

Š शासनादेश संख्या–859/49–01–2016–8(56)–13 टीसी–1,लखनऊ दिनांक 31.05.2016 द्वारा नियम संख्या–47 (1) (ध) के पश्चात निम्न प्रकार बढ़ाया गयाः–

47(1)

(न)वह किसी सहकारी बैंक का पूर्व कार्मिक हो,

प्रतिबन्ध यह है कि यह खण्ड, खण्ड (प) में उल्लिखित 16 जिला सहकारी बैंकों की प्रबन्ध कमेटी के सम्बन्ध में लागू होगा,

(प) यह लाइसेन्स हेतु वित्तीय सहायता/अनुदान/अंशपूँजी/ऋण प्राप्त निम्नलिखित 16 जिला सहकारी बैंक की प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचन के पूर्ववर्ती 10 वर्ष पूर्व तक की अवधि में बैंक की प्रबन्ध कमेटी का सदस्य रहा होः–

जिला सहकारी बैंक लि0, देवरिया, बहराइच, सिद्वार्थनगर, सुल्तानपुर, जौनपुर, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, हरदोई, फतेहपुर, सीतापुर, वाराणसी, इलाहाबाद, गाजीपुर एवं फैजाबाद।